

सी.जी.-जे.के.-अ.-13062023-246490 CG-JK-E-13062023-246490

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375] No. 375] नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2023/ज्येष्ठ 22, 1945 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2023/JYAISHTHA 22, 1945

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए

अधिसूचना

जम्मू, 29 मई, 2023

सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/11.—जबिक विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 61(एच) और धारा 86(1)(ई) पिठत धारा 181 की उपधारा की उपधारा (आई) और अनुच्छेद (ज़ेडडी) और (ज़ेडआई) और इस संबंध में सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र शासित प्रदेश 'जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख' के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करता है।

केंद्र शासित प्रदेश 'जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली और संबन्धित मामले) विनियमावली, 2023

- 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
- 1.1 इन विनियमों को "संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली और संबन्धित मामले) विनियम, 2023" कहा जाएगा।
- 1.2 ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 1.3 ये विनियम केंद्र शासित प्रदेश जम्मु और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लहाख में लागृ होंगे।
- 2 परिभाषाएं, संक्षिप्ताक्षर और व्याख्याएं

3697 GI/2023 (1)

- 2.1. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
 - (1) "अधिनियम" का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), और उसके बाद के संशोधन;
 - (2) "औसत बिजली खरीद लागत" (एपीपीसी) का अर्थ है भारित औसत मूल्य है जिस पर वितरण लाइसेंसधारी ने संबंधित खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश या किसी अन्य सामान्य या विशिष्ट आदेश में आयोग द्वारा अनुमोदित स्व-उत्पादन की लागत, यदि कोई हो, सहित बिजली (आरई स्रोतों से खरीद को छोड़कर) की खरीद की है या खरीदने की संभावना है:
 - (3) "प्राधिकरण" का अर्थ अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (1) में संदर्भित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है;
 - (4) "बिलिंग साइकल" का अर्थ है वह अविध है जिसके लिए आयोग द्वारा लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्दिष्ट नियमित बिजली बिल तैयार किए जाते हैं:
 - (5) "सीओडी" या "वाणिज्यिक संचालन तिथि" या "वाणिज्यिक संचालन का दिन" का अर्थ वह तिथि जिस पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली ग्रिड प्रणाली के साथ सिंक्रोनाइज़ होती है;
 - (6) "चेक मीटर" का अर्थ है एक मीटर, जो करेंट ट्रांसफार्मर (सीटी) और वोल्टेज ट्रांसफार्मर (वीटी) के उसी कोर से जुड़ा होगा, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा मीटर जुड़ा हुआ है और मुख्य मीटर या नवीकरणीय ऊर्जा मीटर के खराब होने की स्थिति में इसका उपयोग बिजली के लेखांकन और बिलिंग के लिए किया जाएगा।;
 - (7) **"आयोग"** का अर्थ है जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश व लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग;
 - (8) **"कनेक्शन अनुबंध"** का अर्थ है वितरण लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच किया गया सकल मीटरिंग या नेट-बिलिंग (नेट फीड-इन) या नेट-मीटरिंग इंटर-कनेक्शन समझौता;
 - (9) "उपभोक्ता" का अर्थ अधिनियम में परिभाषित उपभोक्ता से है;
 - (10) "<mark>उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ)"</mark> का अर्थ है अधिनियम की धारा 42(5) के तहत स्थापित उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण के लिए मंच;
 - (11) "अनुबंधित लोड" या "अनुबंध मांग" का अर्थ है केडब्ल्यू, केवीए या एचपी में अधिकतम मांग, जिसके वितरण के लिए लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की सहमित दी है और जैसा कि लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच निष्पादित समझौते में दर्शाया गया है;
 - (12) "वितरण लाइसेंसधारी" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 14 (ख) के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है जो आपूर्ति के अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को वितरण प्रणाली संचालित और बनाए रखने और बिजली की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत करता है;
 - (13) **"विद्युत आपूर्ति कोड"** का अर्थ है अधिनियम की धारा 50 के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट विद्युत आपूर्ति नियमावली;
 - (14) "पात्र उपभोक्ता" का अर्थ है वितरण लाइसेंसधारी की आपूर्ति के क्षेत्र में बिजली का उपभोक्ता, जो अपने परिसर में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का उपयोग करने का इरादा रखता है, जो स्वयं की विद्युत आवश्यकताओं के सभी या आंशिक या किसी भी हिस्से को ऑफसेट करता है और ऐसी प्रणालियां स्वयं के स्वामित्व वाली हो सकती हैं या तीसरे पक्ष को पत्ते पर दी जा सकती है;
 - (15) "फीड-इन-टैरिफ" का अर्थ है आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य टैरिफ जिसे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली उत्पादन के लिए सकल मीटरिंग या नेट-बिलिंग के लिए निर्धारित किया जाता है, जो आयोग द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विनियमन से टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तों के अनुसार बनाया जाता है;
 - (16) "**ग्रिड**" का अर्थ है निम्न वोल्टेज विद्युत नेटवर्क, वितरण और पारेषण नेटवर्क या इंटर-कनेक्टेड ट्रांसमिशन लाइनों, उप-स्टेशनों और ऊर्जा की बिक्री के लिए उत्पादन संयंत्रों या इन विनियमों में परिभाषित ऊर्जा के व्हीलिंग के लिए उच्च वोल्टेज बैकबोन सिस्टम;
 - (17) "ग्रॉस-मीटरिंग" का अर्थ है एक ऐसा तंत्र जिसके द्वारा एक प्रोज्यूमर की ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम से उत्पन्न कुल ऊर्जा और प्रोज्यूमर द्वारा खपत की गई कुल ऊर्जा को उपयुक्त मीटरिंग व्यवस्था के

माध्यम से और बिलिंग उद्देश्य के लिए अलग से आकलन किया जाता है; जबिक, उपभोक्ता द्वारा खपत की गई कुल ऊर्जा को लागू खुदरा टैरिफ में शामिल किया जाता है और कुल नवीकरणीय ऊर्जा को आयोग द्वारा निर्धारित फीड-इन टैरिफ के अनुसार आकलन किया जाता है।

- (18) "**ग्रुप नेट मीटरिंग**" का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और नेट मीटर के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से इंजेक्ट की जाती है और निर्यात की गई ऊर्जा को एक ही उपभोक्ता के एक से अधिक विद्युत सेवा कनेक्शन (कनेक्शनों) में उसी वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र के भीतर स्थित उसी या अलग परिसर में समायोजित किया जाता है;
- (19) "स्थापित क्षमता" का अर्थ है नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की सभी इकाइयों के केडबल्यूपी में व्यक्त नेम प्लेट क्षमताओं का योग या आयोग द्वारा अनुमोदित आउटपुट टर्मिनलों पर आंकलित की गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता;
- (20) "नेट बिलिंग/नेट मीटरिंग व्यवस्था के लिए इंटरकनेक्शन प्वाइंट " का अर्थ है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का प्रोज्यूमर के परिसर में मीटर के आउटगोइंग टर्मिनल के साथ इंटरफेस:
 - बशर्ते कि, यदि उपभोक्ता हाइ टेंशन (एचटी) स्तर पर जुड़ा हुआ है, तो "इंटरकनेक्शन प्वाइंट" का अर्थ होगा वितरण लाइसेंसधारियों के मीटरिंग उपकरण के आउटगोइंग टर्मिनल के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का इंटरफेस।
- (21) " सकल मीटरिंग व्यवस्था के लिए इंटरकनेक्शन पॉइंट " का अर्थ है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का इंटरफ़ेस, प्रोज्यूमर के परिसर में मीटर के आने वाले टर्मिनल के साथ इंटरफ़ेस: बशर्ते कि, यदि प्रोज्यूमर हाई टेंशन (एचटी) स्तर पर जुड़ा हो , "इंटरकनेक्शन पॉइंट" का अर्थ होगा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का इंटरफ़ेस होगा:
- (22) "चालान" का अर्थ है उपभोक्ता को वितरण लाइसेंसधारी द्वारा एक आवधिक बिल / अनुपूरक बिल या एक चालान / पूरक चालान;
- (23) "**आइलांडिंग**" का अर्थ है एक विद्युत प्रणाली घटना जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से संचालित वितरित जनरेटर, बाहरी ग्रिड पावर या ग्रिड आउटेज स्थितियों के अभाव में किसी साइट या स्थान को बिजली देना जारी रखते हैं।
- (24) "माह" का अर्थ है महीने के पहले दिन / तारीख से शुरू होने वाला और महीने के आखिरी दिन / तारीख के साथ समाप्त होने वाला अंग्रेजी कैलेंडर का महीना। भाग माह विशिष्ट महीने में दिनों की कुल संख्या के अनुपात में दिनों की विशिष्ट संख्या के लिए लागू होगा;
- (25) "**नेट-बिलिंग या नेट फीड-इन**" का अर्थ है आपूर्ति के बिंदु पर नेट-बिलिंग या नेट फीड-इन के लिए उपयोग किया जाने वाला एकल द्विदिश ऊर्जा मीटर जिसमें ग्रिड से प्राप्त ऊर्जा और ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से निर्यात की गई ऊर्जा एक प्रोज्यूमर का मुल्य दो अलग-अलग टैरिफ पर लगाया जाता है, जहां-
 - (i) आयातित ऊर्जा का मौद्रिक मूल्य लागू खुदरा शुल्क पर आधारित होता है;
 - (ii) निर्यातित नवीकरणीय ऊर्जा का मौद्रिक मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित फीड-इन टैरिफ पर आधारित होता है;
 - (iii) बिल की जाने वाली शुद्ध राशि (या क्रेडिट / कैरीओवर) की गणना के लिए निर्यातित ऊर्जा के मौद्रिक मूल्य को आयातित ऊर्जा के मौद्रिक मूल्य से घटाया जाता है;
- (26) "नेट मीटिरंग" का अर्थ है एक ऐसा तंत्र जहां शुद्ध आयातित या निर्यात ऊर्जा की गणना करने के लिए एक प्रोज्यूमर के ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम से ग्रिड को निर्यात की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा को यूनिट (केडबल्यूएच) में ग्रिड से आयातित ऊर्जा को घटाया जाता है और आपूर्ति के बिंदु पर नेट-मीटिरंग के लिए एकल द्विदिश ऊर्जा मीटर का उपयोग करके लागू खुदरा टैरिफ के आधार पर वितरण लाइसेंसधारी द्वारा शुद्ध ऊर्जा आयात या निर्यात का बिल भेजा जाता है या क्रेडिट किया जाता है या कैरी ओवर किया जाता है;
- (27) "नेट मीटर" का अर्थ है एक उपयुक्त द्वि-दिशात्मक ऊर्जा मीटर जो ग्रिड से आयात और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली में उत्पन्न बिजली के निर्यात दोनों को रिकॉर्ड करने में सक्षम है;

- (28) "दायित्व निकाय" का अर्थ है बिजली के लाइसेंस प्राप्त आपूर्तिकर्ता, वितरण लाइसेंसधारी, कैप्टिव उपयोगकर्ता और ओपन एक्सेस उपभोक्ता, जिन्हें आयोग द्वारा बने गए नवीकरणीय ऊर्जा खरीद विनियमावली के तहत पहचाना जाता है; और जिसको अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (ड़) के तहत आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों को पूरा करना अनिवार्य होता है;
- (29) "लोकपाल" का अर्थ है अधिनियम की धारा 181 के साथ पठित धारा 42 (6) के अनुसार नियुक्त व्यक्ति;
- (30) "ओपन एक्सेस कंज्यूमर" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसे आपूर्ति के अपने क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए इंट्रा-स्टेट ट्रांसिमशन सिस्टम और / या वितरण प्रणाली का उपयोग करने की अनुमित है, और इस अभिव्यक्ति में उत्पादन कंपनी और एक लाइसेंसधारी शामिल है. जिसने ओपन एक्सेस का लाभ उठाया है या इरादा रखता है;
- (31) "**परियोजना विकासकर्ता**" का अर्थ है आरई परियोजना का विकासकर्ता, जो इस तरह की परियोजना को अपने परिसर में या पट्टे या किराए पर लिए गए परिसर में विकसित करेंगे:
- (30) "प्रोज्यूमर" का अर्थ है वह व्यक्ति जो ग्रिड से बिजली का उपभोग करता है और आपूर्ति के उसी बिंदु का उपयोग करके वितरण लाइसेंसधारी के लिए ग्रिड में बिजली भी वितरित कर सकता है।
- (33) "परिसर" का अर्थ है कोई भी क्षेत्र और इसमें छतों या भूमि, भवन या बुनियादी ढांचे या उसके हिस्से या संयोजन भी शामिल है, जिसके संबंध में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए एक अलग मीटर या मीटरिंग व्यवस्था प्रदान की गई है।
- (34) "नवीकरणीय ऊर्जा" का अर्थ है, नवीकरणीय ऊर्जा स्नोतों से उत्पन्न ग्रिड से जुड़ी और ग्रिड गुणवत्ता वाली बिजली जिसमें इस प्रकार के स्नोतों का संयोजन भी शामिल है:
- (35) "**नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी)**" का अर्थ है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विनियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किया गया प्रमाण पत्र;
- (36) "नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली" का अर्थ है नवीकरणीय ऊर्जा बिजली प्रणाली जिसमें उपभोक्ता के परिसर में स्थापित ऊर्जा भंडारण हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, और ऐसे उपभोक्ता या तीसरे पक्ष के स्वामित्व में होती है और/या उसके द्वारा संचालित की जाती है, जो बिजली में रूपांतरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है:
- (37) "नवीकरणीय ऊर्जा मीटर" का अर्थ है लेखा और बिलिंग के उद्देश्य के लिए आरई परियोजना द्वारा उत्पन्न सकल नवीकरणीय ऊर्जा इकाइयों को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मीटर;
- (38) "नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत" का अर्थ है नवीकरणीय स्रोत या ऐसे स्रोतों का संयोजन, जैसे कि मिनी, सूक्ष्म और लघु हाइड्रो, पवन, सौर, बायोमास जिसमें बायोगैस, जैव-ईंधन, शहरी या नगरपालिका ठोस अपशिष्ट शामिल हैं, जैसा कि आयोग द्वारा बनाए गए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से टैरिफ निर्धारण के लिए विनियमन में परिभाषित नियम और शर्तों में परिभाषित किया गया है और ऐसे अन्य स्रोत जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित हैं;
- (39) "**नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (आरपीओ)**" का अर्थ है आयोग द्वारा निर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व:
- (40) "स्वीकृत लोड" का अर्थ है केडब्ल्यू, केवीए या एचपी में लोड, जिसे लाइसेंसधारक समय-समय पर वितरण लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच एक समझौते की अनुपस्थिति में शासी नियमों और शर्तों के अधीन आपूर्ति करने के लिए सहमत होता है;
- (41) **"सम्झौता अवधि**" का अर्थ है अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष के अनुसार 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक अवधि:
- (42) "**सौर ग्रिड इन्वर्टर**" का अर्थ है ऐसे उपकरण जो डीसी (डायरेक्ट करंट) पावर को सोलर पावर मॉड्यूल से ग्रिड के अनुसार एसी (अल्टरनेटिंग करंट) पावर में परिवर्तित करते हैं;
- (43) "राज्य नोडल एजेंसी" का अर्थ है संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एजेंसी जिसे आयोग द्वारा मान्यता के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करने और पंजीकरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की

सिफारिश करने और ऐसे कार्यों को करने के लिए नामित किया जा सकता है जैसा कि अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (ड़) के तहत निर्दिष्ट किया जा सकता है;

- (44) एक लाइसेंसधारी के संबंध में "**टैरिफ आदेश"** का अर्थ है उस लाइसेंसधारी के लिए आयोग द्वारा जारी किया गया लागू खुदरा टैरिफ आदेश, जिसमें विद्युत ऊर्जा और सेवाओं की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से लाइसेंसधारी द्वारा चार्ज किए जाने वाले टैरिफ को दर्शाया गया है;
- (45) "**तृतीय पक्ष के स्वामित्व**" का अर्थ है एक परियोजना डेवलपर के स्वामित्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना जो छत या परिसर पर स्थापित है जैसा कि ऊपर 1(29) में परिभाषित किया गया है जिसके लिए प्रोजेक्ट डेवलपर द्वारा मालिक के साथ एक वाणिज्यिक पट्टा या राजस्व हिस्सेदारी समझौता किया गया है;
- (46) "वर्चुअल नेट मीटिरंग" का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा उपभोक्ता परिसर या किसी अन्य स्थान पर स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना से उत्पन्न संपूर्ण ऊर्जा सौर ऊर्जा मीटर के माध्यम से इंजेक्ट की जाती है। और निर्यात की गई ऊर्जा को एक ही वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र के भीतर स्थित प्रतिभागी उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) के एक या एक से अधिक बिजली सेवा कनेक्शन (कनेक्शनों) में समायोजित किया जाता है:
- (47) "**वर्ष**" या "वित्तीय वर्ष" का अर्थ है एक अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होने वाली और अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि।
- 2.2. संक्षिप्ताक्षर: इन विनियमों में निम्नलिखित की व्याख्या इस प्रकार की जाएगी:
 - i. "**ईपीसी**" का अर्थ है इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण ठेकेदार द्वारा अधिकृत है वितरण लाइसेंसधारी;
 - ii. "**केडबल्यूपी**" का अर्थ है किलो वाट पीक, सौर संयंत्र की रेटिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द;
 - iii. "एमएनआरई" का अर्थ है भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय;
- 2.3 इन विनियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ यदि ऊपर विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है। यहां प्रयुक्त अन्य शब्द और अभिव्यक्तियां लेकिन इन विनियमों या अधिनियम में विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं लेकिन संसद द्वारा पारित किसी अन्य कानून में परिभाषित हैं जो राज्य या संघीय क्षेत्र में बिजली उद्योग पर लागू हैं, का अर्थ ऐसे क़ानूनों के अनुसार होगा।

3. विनियमों का कार्यक्षेत्र और प्रयोग की सीमा

- 3.1 ये विनियम इन पर लागू होंगे:
 - क. सकल मीटरिंग व्यवस्था
 - ख. नेट बिलिंग (नेट फीड-इन) व्यवस्था
 - ग. ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग सहित नेट-मीटरिंग व्यवस्था

बशर्ते कि सकल मीटरिंग या नेट-बिलिंग या नेट-मीटरिंग व्यवस्था, जैसा भी मामला हो पात्र उपभोक्ताओं के लिए तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते कि ग्रुप नेट मीटरिंग फ्रेमवर्क सभी उपभोक्ताओं पर लागू होगा, जबकि वर्चुअल नेट मीटरिंग फ्रेमवर्क आवासीय उपभोक्ताओं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और सरकारी/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।

3.2 ये विनियम सभी ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन सिस्टम पर लागू होंगे जो इन विनियमों की अधिसूचना के बाद चालू किए गए हैं।

4. पात्रता मानदंड

4.1 सभी श्रेणियों के पात्र उपभोक्ता 500 किलोवाट क्षमता तक की नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित कर सकते हैं: बशर्ते कि 500 किलोवाट से अधिक रेटिंग की नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटिंग प्रणाली पर वितरण लाइसेंसधारी द्वारा विचार किया जा सकता है यदि उच्च रेटिंग वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के साथ वितरण प्रणाली स्थिर रहती है और ग्रिड से जुड़ जाती है।

- 4.2 सभी श्रेणियों के पात्र उपभोक्ता 500 किलोवाट से अधिक और अधिकतम 1 मेगावाट तक की नेट-बिलिंग व्यवस्था के तहत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित कर सकते हैं।
- 4.3 सभी श्रेणियों के पात्र उपभोक्ता सकल मीटरिंग व्यवस्था अधिकतम 1 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित कर सकते हैं।
 - बशर्ते कि वितरण यूटिलिटीज नेट-बिलिंग या ग्रॉस मीटरिंग के तहत 1 मेगावाट से अधिक रेटिंग की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली को लोड फ्लो अध्ययन करने और यह सुनिश्चित करने के बाद अनुमित दे सकती हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों की ऐसी उच्च क्षमता की स्थापना का ग्रिड पर कोई प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ता है।
- 4.4 बशर्ते कि पात्र उपभोक्ता या इन विनियमों में निर्दिष्ट केवल एक व्यवस्था अर्थात नेट मीटरिंग या नेट-बिलिंग या सकल मीटरिंग व्यवस्था का विकल्प चुन सकता है।
- 4.5 नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का न्यूनतम आकार 1 किलोवाट होगा जिसे नेट मीटरिंग या नेट-बिलिंग या ग्रॉस मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित किया जा सकता है।
- 4.6 ग्रुप नेट मीटरिंग या वर्चुअल नेट मीटरिंग फ्रेमवर्क के तहत स्थापित किए जाने वाले आरई जनरेटिंग सिस्टम की क्षमता 5 किलोवाट से कम और 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।
- 4.7 पात्र उपभोक्ता के परिसर में नेट मीटरिंग/ग्रुप नेट मीटरिंग/वर्चुअल नेट मीटरिंग या नेट-बिलिंग या ग्रॉस मीटरिंग व्यवस्था के तहत स्थापित की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की क्षमता, उपभोक्ता के स्वीकृत भार (किलोवाट में) या उपभोक्ता के अनुबंध की मांग (केवीए में), जो लागू हो से अधिक नहीं होगी।
- 4.8 वितरण लाइसेंसधारी के पास लंबित बकाया वाले उपभोक्ता इन विनियमों के तहत नेट मीटरिंग या शुद्ध बिलिंग या सकल मीटरिंग व्यवस्था के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 4.9 उन पात्र उपभोक्ताओं को ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग सिहत नेट-मीटरिंग या नेट-बिलिंग या ग्रॉस मीटरिंग व्यवस्था, जैसा भी मामला हो, की वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अनुमित गैर-भेदभावपूर्ण और वितरण ट्रांसफार्मर-वार 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगी, जिन्होंने ऐसे वितरण लाइसेंसधारी के नेटवर्क से जुड़ी एक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली को स्थापित किया है या स्थापित करने का इरादा रखते हैं:
 - बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी के नेटवर्क के साथ ऐसी प्रणाली का अंतर-संयोजन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2013 में निर्दिष्ट मानकों और मानदंडों के अनुसार या जैसा भविष्य में निर्दिष्ट किया जा सकता है, के अनुसार किया जाएगा।

5. तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली

- 5.1 तृतीय पक्ष के स्वामित्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली में, निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:
 - क. उपभोक्ता किसी परियोजना विकासकर्ता को ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग सहित नेट-मीटरिंग या नेट बिलिंग या सकल मिटरिंग ढांचे के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए आपसी वाणिज्यिक सहमित से रूफटॉप स्पेस को पट्टे पर/िकराये पर दे सकता है। उपभोक्ता परियोजना डेवलपर को आपसी सहमित के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा सिस्टम द्वारा उत्पादित ऊर्जा के लिए सभी टैरिफ का भुगतान करेगा। परियोजना विकासकर्ता और प्रोज्यूमर के बीच की वाणिज्यिक व्यवस्था रिकॉर्ड के लिए लाइसेंसधारी को प्रस्तुत की जाएगी और वितरण लाइसेंसधारी की ऐसे वाणिज्यिक व्यवस्था में कोई भूमिका नहीं होगी। नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग या ग्रॉस मीटरिंग फ्रेमवर्क के सभी प्रावधान एक परियोजना विकासकर्ता द्वारा स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के लिए लागू होंगे।
 - ख. वितरण लाइसेंसधारी / नोडल एजेंसी अन्य व्यवसाय मॉडल का पता लगा सकती है जो ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के प्रसार में सुविधा प्रदान कर सकते हैं । इन विनियमों में नहीं दिये गए किसी नए बिजनेस मॉडल के लिए आयोग इस संबंध में दायर याचिका के आधार पर रूपरेखा को अनुमति देगा।

6. वितरण ट्रांसफार्मर स्तर पर क्षमता सीमाएं

- 6.1 वितरण लाइसेंसधारी इन विनियमों में निर्दिष्ट पात्र उपभोक्ताओं को सकल मीटरिंग/नेट बिलिंग/ ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग सहित नेट-मीटरिंग व्यवस्था की अनुमित देगा, जो भी मामला हो।
- 6.2 नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग व्यवस्था, और/या लाइसेंसधारी के विशेष वितरण ट्रांसफार्मर/ फीडर से जुड़े नेट बिलिंग व्यवस्था के तहत सभी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों की संचयी क्षमता को उसकी निर्धारित क्षमता के 100% तक की अनुमति दी जाएगी।
- 6.3 वितरण लाइसेंसधारी प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को जोड़ने के लिए उपलब्ध वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता को वार्षिक आधार पर अद्यतन करेगा और अपनी वेबसाइट के साथ-साथ आयोग को भी जानकारी प्रदान करेगा।
- 6.4 वितरण लाइसेंसधारी को नियमित आधार पर डीटी की क्षमता सीमा की निगरानी करनी चाहिए और डीटी क्षमता अपनी 100% की सीमा तक पहुंचने के बाद नए आरई सिस्टम कनेक्शन या व्यवस्था को कनेक्ट करने से माना कर देना चाहिए।

7. मीटरिंग व्यवस्था

- 7.1 मीटरिंग प्रणाली समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 के अनुसार होगी।
- 7.2 सभी मीटरों में 485 रुपये (या अधिक) के संचार पोर्ट या किसी अन्य उन्नत संचार सुविधा के साथ मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) की सुविधा होगी।
- 7.3 नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के चालू होने से पहले मौजूद उपभोक्ता के मीटर के समान सटीकता वर्ग के नेट मीटर को मौजूदा मीटर के स्थान पर स्थापित किया जाएगा:
 - बशर्ते कि, यदि प्रोज्यूमर टाइम-ऑफ-डे ('टीओडी') टैरिफ के दायरे में है, तो नेट मीटर स्थापित टीओडी खपत और उत्पादन को रिकॉर्ड करने में सक्षम होगा:
 - परंतु बशर्ते कि ऐसे मीटर आपूर्तिकर्ताओं की अनुमोदित सूची से उसी के अधीन वितरण लाइसेंसधारी या उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए जा सकते हैं:
 - परन्तु बशर्ते कि यदि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा मीटर स्थापित किया जाता है तो उसकी लागत की वसूली परियोजना के सीओडी से पहले उपभोक्ता से की जायेगी।
- 7.4 नवीकरणीय ऊर्जा मीटर (एक यूनिडायरेक्शनल मीटर) को नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग या ग्रॉस मीटरिंग व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में उस बिन्दु पर स्थापित किया जाना है, जैसा भी मामला हो, जिस बिंदु पर बिजली नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा उत्पन्न होती है और मुख्य पैनल को दी जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा मीटर में मीटर रीडिंग उपकरण (एमआरआई) या वायरलेस उपकरण का उपयोग करके मीटर रीडिंग रिकॉर्ड करने की सुविधा होगी।
- 7.5 20 किलोवाट से अधिक क्षमता वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के लिए चेक मीटर अनिवार्य होंगे। चेक मीटर 20 किलोवाट से कम या उसके बराबर क्षमता वाले प्रतिष्ठानों के लिए वैकल्पिक होंगे: बशर्ते कि चेक मीटर की लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी और ऐसे मीटर का परीक्षण वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा और स्थापित किया जाएगा।
- 7.6 वितरण लाइसेंसधारी मीटरिंग उपकरण / प्रणाली की स्थापना, परीक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा और लागू मानकों और विशिष्टताओं का पालन करेगा।
- 7.7 स्थापित मीटर, यदि उपभोक्ता द्वारा व्यवस्था की जाती है, का निरीक्षण वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा, सटीकता के लिए सत्यापित किया जाएगा और उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में सीलबंद (यदि वह परीक्षण के समय उपस्थित होता है) किया जाएगा।
- 7.8 स्थापित मीटरों का दोनों पक्षों की और से संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाएगा और सील किया जाएगा और केवल उपभोक्ता और वितरण लाइसेंसधारी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में परीक्षण या जांच की जाएगी।
 - बशर्ते कि प्रोज्यूमर लाइसेंसधारी द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराए गए मीटरिंग विनिर्देशों और मीटर प्लेसमेंट के प्रावधानों का पालन करेगा।

7.9 वितरण लाइसेंसधारी द्वारा ली गई मीटर रीडिंग वाणिज्यिक समझौते का आधार होगी।

8. वितरण नेटवर्क, मानकों और सुरक्षा के साथ अंतर्संबंध

- 8.1 वितरण लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का वितरण नेटवर्क के साथ अंतर-संयोजन सीईए में (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2013, सीईए (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007, सीईए (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010, जिसमें संशोधन शामिल हैं, और विद्युत आपूर्ति संहिता विनियमों और आयोग द्वारा बनाए गए राज्य ग्रिड कोड विनियम में निर्दिष्ट विनिर्देशों, मानकों और अन्य प्रावधानों के अनुरूप है।
- 8.2 ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग सिहत नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग या ग्रॉस मीटरिंग व्यवस्था के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की अनुमित बैटरी बैक-अप के साथ/बिना आयोग के क्षेत्राधिकार में वितरण लाइसेंसधारी के सभी पात्र उपभोक्ताओं को दी जानी चाहिए:

बशर्ते कि, यदि कोई पात्र उपभोक्ता बैटरी बैक-अप के साथ कनेक्टिविटी का विकल्प चुनता है, तो इन्वर्टर में बैटरी/विकेंद्रीकृत उत्पादन (डीजी) को ग्रिड आपूर्ति के अभाव में ग्रिड में प्रवाहित होने वाली बिजली को रोकने के लिए एक अलग बैक-अप वायरिंग होगी, और यह कि एक स्वचालित के साथ-साथ मैनुअल आइसोलेशन स्विच भी उपलब्ध कराया जाएगा।

बशर्ते कि इन्वर्टर में अनुलगनक | निर्धारित मानकों का पालन करेगा:

8.3 नेट मीटर तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली में किसी भी दोष के सुरक्षित संचालन, रखरखाव और सुधार के लिए प्रोज्यूमर जिम्मेदार होगा, जिसके बाद नेट मीटर के संबंध में ऐसी जिम्मेदारी वितरण लाइसेंसधारी की होगी। :

बशर्ते कि नवीकरणीय ऊर्जा मीटर वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा।

बशर्ते कि दोषपूर्ण नेट मीटर या नवीकरणीय ऊर्जा मीटर के प्रतिस्थापन के मामले में, यह प्रोज्यूमर द्वारा प्रदान किया जाएगा, जैसा कि ऊपर विनियम 7.3 के प्रावधान में उल्लिखित है और उपरोक्त विनियम 7.1 में उल्लिखित प्रासंगिक नियमों के अनुसार स्थापित किया जाएगा।

- 8.4 अभियोक्ता ग्रिड या आपूर्ति की विफलता की स्थिति में वितरण लाइसेंसधारी के नेटवर्क से नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली में आइलांडिंग के लिए उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करेगा।
- 8.5 ग्रिड की आपूर्ति बंद होने पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से बैक फीडिंग के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना (घातक/गैर-घातक/विभागीय/गैर-विभागीय) के लिए प्रोज्यूमर पूरी तरह से जिम्मेदार होगा:

बशर्ते कि इस तरह की परियोजना से इसकी वितरण प्रणाली को किसी भी तरह की दुर्घटना या क्षति के खतरे की स्थिति में वितरण लाइसेंसधारी को किसी भी समय अपने वितरण नेटवर्क से नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को डिस्कनेक्ट करने का अधिकार होगा ताकि किसी भी तरह से दुर्घटना या उसे नुकसान बचा जा सके।

बशर्ते यह भी कि उपभोक्ता अपने स्वयं के उपभोग के लिए अपनी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का उपयोग आइलैंडिंग मोड में कर सकता है।

- 8.6 वितरण लाइसेंसधारी और प्रोज्यूमर अपने संबंधित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे जैसा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रासंगिक विनियमों में निर्दिष्ट है।
- 8.7 नेट मीटरिंग का विकल्प चुनने वाले एचटी उपभोक्ताओं को एलटी स्तर पर खपत के लिए एचटी वोल्टेज स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के लिए अलग से कनेक्टिविटी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

9 संचार सुविधाएं

9.1 सभी ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली में इन विनियमों के तहत प्रदान किए गए ऊर्जा मीटर के माध्यम से ग्रिड में इंजेक्शन के लिए डेटा भंडारण के लिए ऊर्जा रिकॉर्ड करने की सुविधाओं वाले बिजली मीटर होंगे:

बशर्ते कि सभी परियोजनाओं में वितरण लाइसेंसधारी के साथ वास्तविक समय की जानकारी के आदान-प्रदान के लिए संचार पोर्ट होगा:

बशर्ते यह भी कि सभी मीटरों में एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) सुविधा होगी।

10 बिलिंग. ऊर्जा लेखा और निपटान

10.1 नेट मीटरिंग व्यवस्था

- क. नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से निर्यात की गई और प्रोज्यूमर द्वारा ग्रिड से आयात की गई बिजली का लेखा, वितरण नेटवर्क के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की कनेक्टिविटी की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।
- ख. वितरण लाइसेंसधारी, सभी उपभोक्ताओं के लिए, नियमित बिलिंग चक्र के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मीटर और नेट मीटर दोनों की मीटर रीडिंग दर्ज करेगा।
- ग. प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए, वितरण लाइसेंसधारी निम्न को अलग से दिखाएगा: -
 - बिलिंग अविध में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मीटर में दर्ज नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की मात्रा, जिसमें प्रारंभिक और अंतिम शेष शामिल है
 - ii. प्रारंभिक और शेष सहित, प्रोज्यूमर द्वारा निर्यात की गई बिजली इकाइयों की मात्रा;
 - iii. प्रारंभिक और अंतिम शेष सहित, प्रोज्यूमर द्वारा आयातित बिजली इकाइयों की मात्रा;
 - iv. उपभोक्ता द्वारा भुगतान के लिए बिल की गई बिजली इकाइयों की शुद्ध मात्रा; तथा
 - v. अगली बिलिंग अवधि में लाई गई बिजली इकाइयों की शुद्ध मात्रा (यदि अधिशेष है);
 - vi. आरपीओ अनुपालन के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से उपयोग की जाने वाली इकाइयां।
- घ. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को वितरण लाइसेंसधारी से उपभोक्ता की ऊर्जा खपत के विरुद्ध निम्नलिखित तरीके से ऑफसेट किया जाएगा:
 - i. यदि निर्यात की गई बिजली की मात्रा बिलिंग अवधि के दौरान आयातित मात्रा से अधिक है, तो अतिरिक्त मात्रा को बिजली की क्रेडिट यूनिट के रूप में अगली बिलिंग अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाएगा;
 - यदि किसी बिलिंग अविध के दौरान उपभोक्ता द्वारा आयात की गई बिजली इकाइयों की मात्रा निर्यात की गई मात्रा से अधिक है, तो वितरण लाइसेंसधारी लागू टैरिफ आदेश के अनुसार क्रेडिट की गई इकाइयों को समायोजित करने के बाद शृद्ध बिजली खपत के लिए अपना बिल प्रदान करेगा।
 - iii. यदि प्रोज्यूमर टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ के दायरे में है, तो किसी भी समय ब्लॉक में बिजली की खपत, अर्थात पीक ऑवर्स, ऑफ-पीक ऑवर्स आदि को पहले बिजली की मात्रा की भरपाई की जाएगी।
 - iv. बशर्ते कि बिलिंग चक्र में किसी अन्य टाइम ब्लॉक में खपत के ऊपर और अधिक इंजेक्शन का हिसाब लगाया जाएगा यह मानते हुए की अतिरिक्त इंजेक्शन ऑफ-पीक घंटों के दौरान हुआ है ।
- ङ. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बिजली की असमायोजित निवल क्रेडिट यूनिटों को वितरण लाइसेंसधारी द्वारा संबंधित वितरण लाइसेंसधारी की औसत बिजली खरीद लागत या उस वर्ष के लिए निर्धारित फीड-इन-टैरिफ, जो भी कम हो, पर खरीदी गई इकाइयों के रूप में माना जाएगा।
 - बशर्ते कि, प्रत्येक निपटान अवधि की शुरुआत में, आगे ले जाने वाली अंतःक्षेपित बिजली की संचयी मात्रा को शून्य पर फिर से सेट किया जाएगा।
- च. वितरण लाइसेन्सधारी विनियम 10.1(ड़) में विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा खरीदी गई असमायोजित निवल जमा इकाइयों के लिए अगले वर्ष की 30 अप्रैल तक देय राशि की गणना करेगा और अगले वर्ष 31 मई तक पात्र उपभोक्ता को राशि का भुगतान करेगा।
- छ. उपभोक्ता शुल्क के अतिरिक्त वितरण लाइसेंसधारी को आयोग द्वारा अनुमत किसी अन्य पात्र शुल्क और सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी कर/शुल्क/उपकर के लिए बिल सर्जित किया जाएगा।
- ज. जिस उपभोक्ता का लाइसेंस के उपभोक्ता के रूप में अधिकार समाप्त हो जाता है या वह लाइसेंसधारी को अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहा है, वह समायोजन/क्रेडिट की देय राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

झ. बिलिंग के संबंध में वितरण लाइसेंसधारी के साथ किसी भी विवाद के मामले में प्रोज्यूमर शिकायत के निवारण के लिए अधिनियम की धारा 42 (5) से (7) के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट तंत्र का सहारा लेगा।

10.2 ग्रुप नेट मीटरिंग के मामले में, बिलिंग और ऊर्जा लेखांकन के साथ निम्नानुसार व्यवहार किया जाएगा:

- क. जहां किसी बिलिंग अविध के दौरान इकाइयों का निर्यात उस कनेक्शन पर इकाइयों के आयात से अधिक हो जाता है जहां निवकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना स्थित है, ग्रिड में इंजेक्ट की गई ऐसी अधिशेष इकाइयों को उपभोक्ता द्वारा प्रदान की गई प्राथमिकता सूची में दर्शाए गए क्रम में सेवा कनेक्शन (कनेक्शनों) के मासिक बिल में खपत ऊर्जा के विरुद्ध समायोजित किया जाए। समायोजन के लिए प्राथमिकता का क्रम सेवा कनेक्शन के साथ शुरू हुआ माना जाए जहां निवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना स्थित है;
- ख. उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एक बार दो महीने की अग्रिम सूचना के साथ शेष अधिशेष ऊर्जा के समायोजन के लिए प्राथमिकता सूची को अन्य बिजली कनेक्शन (नों) के विरुद्ध संशोधित किया जा सकता है;
- ग. किसी भी समय ब्लॉक (जैसे व्यस्ततम समय, गैर व्यस्ततम समय आदि) में बिजली की खपत की भरपाई पहले उपभोक्ता के उसी बिलिंग चक्र में समान समय ब्लॉकों में बिजली उत्पादन से की जाएगी जहां नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना स्थित है, और इंजेक्ट की गई कोई भी अतिरिक्त यूनिट उपभोक्ता द्वारा प्रदान की गई प्राथमिकता सूची में दर्शाए गए क्रम में सेवा कनेक्शन (नों) के मासिक बिल में खपत की गई ऊर्जा के विरुद्ध समायोजित की जाएगी, जैसे कि दिन के समय (टीओडी) उपभोक्ताओं के लिए गैर व्यस्ततम समय ब्लॉक और गैर-टीओडी उपभोक्ता के लिए सामान्य समय ब्लॉक के दौरान अधिशेष उत्पादन/ऊर्जा क्रेडिट हुआ;
- घ. जहां किसी भी बिलिंग अविध के दौरान, गैर-टीओडी टैरिफ या टीओडी टैरिफ में इकाइयों का निर्यात बिजली सेवा कनेक्शन (नों) द्वारा इकाइयों के आयात से अधिक है, उपभोक्ता द्वारा इंजेक्ट की गई ऐसी अधिशेष इकाइयों को अगली बिलिंग अविध के लिए ऊर्जा क्रेडिट के रूप में आगे बढ़ाया जाए और वरीयता सूची में दर्शाए गए क्रम में निपटान अविध के भीतर बाद की बिलिंग अविधियों में खपत ऊर्जा के विरुद्ध समायोजन के लिए उपभोक्ता द्वारा निर्यात की गई ऊर्जा के रूप में दिखाया जाए;
- ङ. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बिजली की असमायोजित निवल क्रेडिटेड इकाइयों के लिए खंड 10.1 (ड) के प्रावधान उस कनेक्शन के लिए लागु होंगे जहां नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना स्थित है।

10.3 वर्चुअल नेट मीटरिंग के मामले में, बिलिंग और ऊर्जा लेखांकन को निम्नानुसार निपटाया जाएगा:

- क. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना से उत्पन्न ऊर्जा को प्रत्येक सहभागी उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) के मासिक विद्युत बिल में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना से उपार्जन के अनुपात के अनुसार उपभोक्ता (ओं) द्वारा स्टाम्प पेपर पर किए गए करार/एमओयू के अंतर्गत दर्शाए गए तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत किए गए अनुपात में जमा किया जाए:
- ख. उपभोक्ता (ओं) के पास दो महीने की अग्रिम सूचना के साथ वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एक बार उपभोक्ता (ओं) द्वारा किए गए समझौते/एमओयू के तहत इंगित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना से; खरीद के अनुपात के अधीन स्टाम्प पेपर पर एक नया समझौता/एमओयू जमा करके नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना से बिजली के क्रेडिट के हिस्से को बदलने का विकल्प होगा।
- ग. जहां किसी भी समय लागू किसी भी कानून के तहत किसी भी कारण से किसी भी भाग लेने वाले उपभोक्ता (ओं) का सेवा कनेक्शन काट दिया जाता है, उस उपभोक्ता(ओं) की असमायोजित इकाइयों/शेष क्रेडिट का भुगतान वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा;
- घ. किसी भी समय ब्लॉक (जैसे व्यस्ततम समय, गैर व्यस्ततम समय आदि) में बिजली की खपत की भरपाई पहले सहभागी उपभोक्ता ((ओं)) के समान बिलिंग चक्र में समान समय ब्लॉकों में बिजली उत्पादन से की जाएगी। किसी बिलिंग चक्र में किसी भी समय ब्लॉक में खपत से अधिक उत्पादन का हिसाब इस तरह लगाया जाएगा जैसे कि अधिशेष उत्पादन/ऊर्जा क्रेडिट गैर व्यस्ततम समय ब्लॉक के दौरान हुआ हो;
- ङ. जहां किसी भाग लेने वाले उपभोक्ता (ओं) की किसी बिलिंग अविध के दौरान जमा की गई इकाइयां उस उपभोक्ता(ओं) द्वारा इकाइयों के आयात से अधिक हो जाती हैं, ऐसी अधिशेष जमा की गई इकाइयों को अगले बिलिंग अविध में ऊर्जा क्रेडिट के रूप में आगे ले जाया जाएगा ताकि प्रत्येक भाग लेने वाले उपभोक्ता (ओं) की निपटान अविध के भीतर बाद की बिलिंग अविधयों में खपत की गई ऊर्जा के विरुद्ध समायोजन किया जा सके:

च. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बिजली की असमायोजित निवल जमा इकाइयों के लिए, खंड 10.1 (ड) के प्रावधान प्रत्येक भाग लेने वाले उपभोक्ता (ओं) के लिए लागू होंगे।

10.4 शुद्ध बिलिंग व्यवस्था

- क. नेट बिलिंग वह व्यवस्था है जहां नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली:
 - i. नेट मीटर के उपभोक्ता पक्ष से जुड़ी है,
 - ii. आयोग द्वारा अनुमोदित फीड-इन टैरिफ पर वितरण लाइसेंसधारी को अपनी आवश्यकता (बिजली का निर्यात) को पूरा करने के बाद अतिरिक्त बिजली की बिक्री की जाती है:
 - iii. बिजली का आयात, यदि कोई हो, वितरण लाइसेंसधारी से लागू टैरिफ आदेश के अनुसार प्रभारित किया जाएगा।
- ख. वितरण लाइसेन्सधारी बिलिंग चक्र के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मीटर और नेट मीटर, दोनों की, जो भी लागू हो, नियमित रूप से मीटर रीडिंग करेगा।
- ग. वितरण लाइसेंसधारी पात्र उपभोक्ता को प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए अपने बिल पर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएगा:
 - i. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मीटर में दर्ज नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की मात्रा, जिसमें प्रारम्भिक और अंतिम शेष शामिल है;
 - ii. बिलिंग अविध में प्रोज्यूमर द्वारा ग्रिड को निर्यात की गई बिजली इकाइयों की मात्रा, जिसमें प्रारम्भिक और अंतिम शेष शामिल है:
 - iii. बिलिंग अवधि में प्रोज्यूमर द्वारा ग्रिड से आयात की गई बिजली इकाइयों की मात्रा, जिसमें प्रारम्भिक और अंतिम शेष शामिल है;
 - iv. बिलिंग अवधि में बिलिंग क्रेडिट की राशि, यदि कोई हो, प्रारंभिक और अंतिम शेष सहित;
 - v. आरपीओ अनुपालन के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपयोग की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से इकाइयां।
- घ. वितरण लाइसेंसधारी, आयोग द्वारा अनुमोदित फीड-इन टैरिफ पर नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ता द्वारा निर्यात की गई इकाइयों के लिए लेखांकन के बाद और लागू टैरिफ आदेश पर ग्रिड से आयातित इकाइयों के लिए लेखांकन के बाद बिलिंग चक्र के अनुसार शुद्ध बिल तैयार करेगा।
- ङ. वितरण लाइसेंसधारी निम्नलिखित समीकरण के अनुसार उपभोक्ता को बिल प्रस्तृत करेगा:

उपभोक्ता का बिजली बिल = स्थायी शुल्क + अन्य लागू शुल्क और प्रशुल्क + (EDLx TRST) - (ERE * TPPA) - बिलिंग क्रेडिट (पिछले बिलिंग चक्र से आगे ले जाया गया);

जहां:

- स्थायी शुल्क का अर्थ है फिक्स्ड / डिमांड चार्ज, जैसा कि लागू रिटेल सप्लाई टैरिफ ऑर्डर के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी पर लागू होता है;
- ii. अन्य लागू शुल्क और लेवी का अर्थ है कोई अन्य शुल्क जैसे ड्यूटी, उपकर, आदि;
- iii. EDL का अर्थ है वितरण लाइसेंसधारी से आयातित ऊर्जा इकाइयाँ, जैसा कि बिलिंग अवधि के लिए द्विदिश मीटर में दर्ज किया गया है
- iv. TRST का अर्थ है आयोग के लागू टैरिफ आदेश के अनुसार संबंधित उपभोक्ता श्रेणी का लागू रिटेल आपूर्ति शुल्क;
- v. ERE का अर्थ है द्विदिश मीटर द्वारा बिलिंग अविध के लिए रिकॉर्ड की गई निर्यात ऊर्जा इकाइयां;
- vi. TPPA का अर्थ है उपभोक्ता और वितरण लाइसेंसधारी के बीच विनियम 16 के अनुसार किए गए समझौते के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित फीड-इन टैरिफ;

- vii. बिलिंग क्रेडिट वह राशि है जिसके द्वारा किसी विशेष महीने में निर्यातित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का मूल्य उपभोक्ता बिल के अन्य सभी घटकों सहित वितरण लाइसेंसधारी से आयातित इकाइयों के मूल्य से अधिक है।
- च. यदि उपभोक्ता समय-समय पर टैरिफ के अधीन है, तो ऊर्जा बिल (EDL x T ST) की गणना तदनुसार की जाएगी।
- छ. यदि (ERE * TPP) {फिक्स्ड चार्ज + अन्य लागू शुल्क और लेवी + ((EDL x TRST)) से अधिक है, तो यूटिलिटी अंतर (बिलिंग क्रेडिट) के बराबर राशि का क्रेडिट देगी, जिसे अगले बिलिंग चक्र में जोड़ा जाएगा। वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आगे लाई गई ऐसी क्रेडिट राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- ज. बिलिंग अवधि के लिए निवल बिल राशि, यदि प्रोज्यूमर द्वारा देय है, तो उसका भुगतान बिल की नियत तारीख के अंदर प्रोज्यूमर द्वारा किया जाएगा।
- झ. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान देय असमायोजित शेष रहने वाली किसी भी राशि का भुगतान प्रोज्यूमर को अगले वित्तीय के मई के अंत तक नवीनतम रूप से किया जाएगा
- ञ. जिस उपभोक्ता का लाइसेंसधारक के उपभोक्ता के रूप में अधिकार समाप्त हो गया है या वह लाइसेंसधारी के साथ अपनी बकाया राशि का निपटान नहीं कर रहा है, तो वह समायोजन/क्रेडिट की देय राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
- ट. यदि वितरण लाइसेंसधारी के साथ बिलिंग के संबंध में कोई विवाद है तो उपभोक्ता को अधिनियम की धारा 42 (5) से (7) के अंतर्गत आयोग द्वारा शिकायत निवारण के लिए निर्दिष्ट तंत्र का सहारा लेना होगा।

10.5 सकल मीटरिंग व्यवस्था

- क वितरण लाइसेंसधारी नियमित बिलिंग चक्र के अनुसार सभी उपभोक्ताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मीटर और उपभोक्ता मीटर दोनों की मीटर रीडिंग करेगा।
- ख प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए, वितरण लाइसेंसधारी अपने बिल पर निम्नलिखित जानकारी अभियोक्ता को उपलब्ध कराएगा:
 - i. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मीटर में दर्ज नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की मात्रा, जिसमें प्रारम्भिक और अंतिम शेष शामिल है;
 - ii. बिलिंग अविध में प्रोज्यूमर द्वारा ग्रिड से खपत की गई बिजली यूनिटों की मात्रा, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शामिल है;
 - iii. आरपीओ अनुपालन के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपयोग की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से इकाइयां
- ग सकल मीटरिंग व्यवस्था के तहत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने और संचालित करने वाले उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा लेखांकन और समझौता प्रक्रिया निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार होगी:
 - प्रत्येक बिलिंग अविध के लिए, लाइसेंसधारक को बिलिंग अविध में प्रोज्यूमर के पिरसर में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा इंजेक्ट की गई बिजली की मात्रा को दिखाना होगा।
 - ii. वितरण लाइसेंसधारी उस वर्ष के लिए आयोग द्वारा निर्धारित फीड-इन-टैरिफ पर बिलिंग अविध के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा इंजेक्टेड बिजली की मात्रा के लिए अभियोजक को प्रतिपूर्ति करेगा। बशर्ते कि, उपरोक्त टैरिफ समझौते की पूरी अविध के लिए लागू होगा।
 - iii. प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए, लाइसेंसधारी को बिलिंग अवधि में प्रोज्यूमर द्वारा ग्रिड से खपत की गई बिजली की मात्रा दर्शानी होगी।
 - iv. वितरण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश के अनुसार ग्रिड से खपत ऊर्जा के लिए बिल तैयार करेगा जिसमें लागू टैरिफ आदेश के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी पर लागू होने वाले स्थायी शुल्क/मांग शुल्क और अन्य लागू शुल्क और लेवी शामिल हैं;

- v. वितरण लाइसेंसधारी, लाइसेंसधारी द्वारा प्रोज्यूमर को देय राशि तथा ग्रिड से उपभोग की गई ऊर्जा और प्रोज्युमर द्वारा लाइसेंसधारी को देय राशि के अनुसार शुद्ध बिल तैयार करेगा।
- vi. लाइसेंसधारी या प्रोज्यूमर द्वारा देय शुद्ध राशि, जैसा भी मामला हो, बिल में उल्लिखित नियत तारीख के अंदर भुगतान किया जाएगा।
- घ जिस उपभोक्ता का लाइसेंसधारी के उपभोक्ता के रूप में अधिकार समाप्त हो गया है या वह लाइसेंसधारी के साथ अपनी बकाया राशि का निपटान नहीं कर रहा है, वह देय राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
- ङ बिलिंग के संबंध में वितरण लाइसेंसधारी के साथ किसी भी विवाद के मामले में, प्रोज्यूमर को शिकायत के निवारण के लिए अधिनियम की धारा 42(5) से (7) के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट तंत्र में शिकायत करनी होगी।

11. जुर्माना या मुआवजा - मीटरिंग सिस्टम में विफलता

- 11.1 मीटरिंग प्रणाली की विफलता के मामले में, दंड या मुआवजे के प्रावधान वितरण लाइसेंसधारी के लिए आयोग द्वारा बनाए गए वितरण लाइसेंसधारियों के प्रदर्शन के मानकों के नियमों के प्रावधानों के अनुसार होंगे।
- 11.2 इन विनियमों के तहत निर्धारित समय सीमा को पूरा करने में विफलता के मामले में, वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता को नीचे विनियम 15.1 (ठ) के तहत निर्दिष्ट मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

12. विलंब से भुगतान के लिए सरचार्ज

यदि उपरोक्त विनियम 10.1 (ड़) और विनियम 10.2(क) के तहत वितरण लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान के मामले में वर्ष की 31 मई से अधिक विलंबित हो जाती है, तो वितरण लाइसेंसधारी पर 31 मई के बाद की देरी से 1.25% प्रति माह की दर से देरी के लिए सरचार्ज लगाया जाएगा।

13. आरई पावर की बैंकिंग के लिए प्रभार

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, चाहे वे स्वयं के स्वामित्व वाली हों या इन विनियमों के अंतर्गत स्थापित तृतीय पक्ष के स्वामित्व वाली हों बिजली की बैंकिंग के संबंध में शुल्क से छुट दी जाएगी।

14. नवीकरणीय खरीद दायित्व और आरईसी तंत्र के अंतर्गत भाग लेने की पात्रता

- 14.1 नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से प्रोज्यूमर द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा आरपीओ के अनुपालन योग्य होगी, यदि ऐसा अभियोजक एक बाध्यकारी इकाई है।
- 14.2 नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत स्वामित्व वाली और स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से उपभोक्ता द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा, यदि ऐसा उपभोक्ता एक बाध्यकारी इकाई नहीं है, तो उसे वितरण लाइसेंसधारी के आरपीओ को पूरा करना होगा।
- 14.3 उपरोक्त विनियम 10.1 (ड़) के प्रावधानों के तहत वितरण लाइसेंसधारी द्वारा खरीदी गई नवीकरणीय ऊर्जा की गैर-समायोजित शुद्ध क्रेडिट यूनिट भी अपने आरपीओ को पूरा करने के लिए योग्य होंगी।
- 14.4 शुद्ध बिलिंग या सकल मीटरिंग व्यवस्था के मामले में, उत्पादन मीटर द्वारा दर्ज की गई बिजली की पूरी मात्रा को वितरण लाइसेंसधारी के आरपीओ को पूरा करना होगा।
- 14.5 इन विनियमों के तहत किसी भी उपभोक्ता द्वारा उत्पन्न नवीकरणीय ऊर्जा आरईसी के लिए पात्र नहीं होगी।

15. आवेदन और पंजीकरण की प्रक्रिया

- 15.1. वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं के परिसरों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। इस संबंध में, लाइसेंसधारी निम्न कार्य करेगा:
 - क उपभोक्ताओं के परिसरों में वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों या उपकरणों की स्थापना, इंटरकनेक्शन और मीटरिंग के लिए उपभोक्ताओं आवेदन प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएं और इसे नियमित आधार पर अपडेट करें।
 - ख अपनी वेबसाइट और अपने सभी कार्यालयों में निम्नलिखित को प्रमुखता से प्रदर्शित करें:-

- (i) सकल मीटरिंग/नेट बिलिंग/नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना और चालू करने के लिए विवरण में विस्तृत मानकीकृत प्रक्रिया;
- (ii) आवेदन पत्र जमा करने से लेकर कमीशनिंग तक ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए संपर्क का एक बिंदु;
- (iii) कार्यालयों का पता और टेलीफोन नंबर जहां भरे हुए आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं;
- (iv) ऐसे आवेदनों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की पूरी सूची;
- (v) आवेदक द्वारा जमा किए जाने वाले लागू शुल्क;
- (vi) उन उपभोक्ताओं के लाभ के लिए सेवा प्रदाताओं की सूची जो सेवा प्रदाताओं के माध्यम से ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं; तथा
- (vii) केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत उपभोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन।
- ग वितरण लाइसेंसधारी फॉर्म को अपनी वेबसाइट पर और हार्ड कॉपी के माध्यम से अपने स्थानीय कार्यालयों में उपलब्ध कराएगा।
- घ परिसर के उपभोक्ता को अपनी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली से जोड़ने के लिए विनियम के अनुलग्नक-2 के रूप में निर्दिष्ट प्रपत्र में प्रसंस्करण शुल्क के साथ रु. 500 (पांच सौ रुपये मात्र) संबंधित वितरण लाइसेंसधारी के स्थानीय कार्यालय में या वितरण लाइसेंसधारियों के वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करेगा।
- ङ यदि आवेदन पत्र हार्ड कॉपी में जमा किया जाता है, तो उसे प्राप्त किया जाएगा, और उस आवेदन के लिए पंजीकरण संख्या के साथ पावती तैयार की जाएगी। इसे प्राप्त होते ही स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यदि वितरण लाइसेंसधारी के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त होता है, तो आवेदन जमा करने पर पंजीकरण संख्या के साथ पावती तैयार की जाएगी। आवेदन पंजीकरण संख्या के साथ पावती के सृजन की तारीख को प्राप्त माना जाएगा; और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अद्वितीय पंजीकरण संख्या के आधार पर वेब-आधारित एप्लिकेशन या किसी अन्य माध्यम से प्रदान किया जाएगा ताकि आवेदन की रसीद, साइट निरीक्षण, मीटर स्थापना और कमीशनिंग आदि जैसे आवेदन के प्रसंस्करण की स्थिति की निगरानी की जा सके।
- च लाइसेंसधारी 20 दिनों के अंदर तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन पूरा करेगा और आवेदक को ईमेल/एसएमएस/पोस्ट के माध्यम से, आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, जमा की जाने वाली अनुमानित राशि और उपभोक्ता द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध की प्रति के साथ सूचित करेगा।
- छ पूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर, वितरण लाइसेंसधारी आवेदन को स्वीकृति देगा और आवेदन की पावती जारी होने के तीस (30) दिनों के अंदर ईमेल/एसएमएस/पोस्ट के माध्यम से स्वीकृति पत्र (एलओए) प्रदान करके आवेदक को इसकी सूचना देगा।
- ज व्यवहार्यता अध्ययन से स्थापना के पूरा होने तक की समय अवधि के दौरान, यदि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की आवश्यक क्षमता की स्थापना के लिए वितरण बुनियादी ढांचे के उन्नयन जैसे सर्विस लाइन, वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता आदि के उन्नयन की आवश्यकता होती है, तो ऐसा वितरण लाइसेंसधारी या उपभोक्ता, जैसा भी मामला हो, द्वारा किया जाएगा।
- झ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के बाद, प्रोज्यूमर वितरण लाइसेंसधारी को स्थापना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी स्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से तीस दिनों के अंदर कनेक्शन अनुबंध पर हस्ताक्षर, मीटर की स्थापना और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की सफल कमीशनिंग को पूरा करेगा। इन विनियमों की अधिसूचना के तीस दिनों के अंदर कनेक्शन अनुबंध और स्थापना प्रमाण पत्र के प्रारूप वितरण लाइसेंसधारी के वेब पोर्टल पर डाल दिए जाएंगे।
- ञ प्रोसुमेर के पास आवश्यक मीटर स्वयं खरीदने का विकल्प होगा, जिसे वितरण लाइसेंसधारी द्वारा जांच और स्थापित किया जाएगा।
- ट इन विनियमों में ऊपर निर्दिष्ट समय-सीमा का वितरण लाइसेंसधारी द्वारा पालन किया जाएगा। विलम्ब के मामले में, लाइसेंसधारी विशिष्ट मामलों में आयोग से उसके औचित्य सहित अनुमोदन ले सकता है।

- ठ वितरण लाइसेंसधारी की ओर से बिना किसी उचित कारण के विलंब होने की स्थिति में, लाइसेंसधारी, उपभोक्ता को चूक के प्रत्येक दिन के लिए प्रतिदिन 100 रुपये (एक सौ रुपये मात्र) की दर से मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- ड वितरण लाइसेंसधारी, केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत प्रदान किए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों को उपभोक्ताओं को प्रदान करेगा।
- ढ किसी भी बिलिंग विवाद के मामले में, अभियोजक संबंधित वितरण लाइसेंसधारी के विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम से संपर्क कर सकता है।

विविध

16. कनेक्शन अनुबंध

वितरण नेटवर्क के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की कनेक्टिविटी के अनुमोदन के बाद लेकिन वर्तमान उत्पादन की शुरुआत से पहले वितरण लाइसेंसधारी और पात्र उपभोक्ता नेट मीटिरेंग या नेट बिलिंग या सकल मीटिरेंग कनेक्शन अनुबंध, जैसा भी मामला हो, निष्पादित करेंगे। नेट मीटिरेंग, नेट बिलिंग और ग्रॉस मीटिरेंग व्यवस्था के लिए मॉडल कनेक्शन एग्रीमेंट क्रमशः अनुबंध 3, अनुलग्नक 4 और अनुलग्नक 5 में दिया गया है। वितरण लाइसेंसधारी जेएकेईडीए के परामर्श से ग्रुप नेट मीटिरेंग या वर्चुअल नेट मीटिरेंग सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए एक समान कनेक्शन समझौता विकसित करेगा, जैसा कि इन विनियमों के तहत अनुमित दी गई है और इसमें प्रवेश करने से पहले आयोग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करें। इस संबंध में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एफ संख्या 318/13/2022-जीसीआरटी) दिनांक 04.08.2022 द्वारा विकसित मॉडल विनियमों का संदर्भ लिया जा सकता है।

17. आराम करने की शक्ति

आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, और प्रभावित होने की संभावना वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी व्यक्ति द्वारा पहले किए गए आवेदन पर छूट दे सकता है।

18. संशोधन करने की शक्ति

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को जोड़ सकता है, बदल सकता है, संशोधित कर सकता है, निलंबित कर सकता है, या निरस्त कर सकता है।

19.निरसन और छूट

इन विनियमों में अन्यथा प्रावधान को छोड़ कर, गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जेईआरसी (नेट मीटरिंग पर आधारित सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) विनियम, 2019, समय-समय पर किए गए संशोधनों के साथ, इसके द्वारा निरस्त किया जाता है:

बशर्ते कि सभी उद्देश्यों के लिए, जिसमें इन विनियमों की अधिसूचना तक की अविध से संबंधित मामलों की समीक्षा करना, नेट मीटिरेंग से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जेईआरसी (नेट मीटिरेंग पर आधारित सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) विनियम, 2019, संशोधनों सहित उस पर, जैसा लागू हो सकता है, के प्रावधान लागू होंगे।

20. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी करते समय उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई के मामले में, आयोग या तो स्व-प्रेरणा से या एक याचिका पर, एक आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान बना सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, जो आवश्यक प्रतीत हो सकते हैं।

आयोग के आदेश द्वारा।

वीके धर, (जेकेएएस) सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./157/2023-24]

अनुलग्नक 1

वोल्टेज स्तर हार्मोनिक्स, मानक: हार्मोनिक्स और इन्वर्टर

हार्मोनिक्स आईईईई 519 मानकों के अनुसार होगा। अनुमितप्राप्त व्यक्तिगत हार्मोनिक्स स्तर 3% (वोल्टेज और करंट हार्मोनिक्स दोनों के लिए) से कम होगा और ग्रिड सिस्टम के वोल्टेज और करंट हार्मोनिक्स दोनों के लिए टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन (टीएचडी) 5% से कम होगा।

इन्वर्टर के लिए मानक

इन्वर्टर दक्षता और माप के लिए आईईसी 61683/आईएस 61683 की अनुपालन में होना चाहिए और पर्यावरण परीक्षण के लिए आईईसी 60068-2 (1, 2, 14, 30)/समतुल्य बीआईएस मानक का पालन करना चाहिए। इन्वर्टर को लगातार ग्रिड की स्थित की निगरानी करनी चाहिए और ग्रिड की विफलता (या) कम वोल्टेज (या) अधिक वोल्टेज की स्थिति में, सोलर प्लांट को इन्वर्टर में दिए गए सर्किट ब्रेकर / ऑटो स्विच द्वारा काट दिया जाना चाहिए।

		विभिन्न अन्य मानक	
क्र.सं.	मापदंड	संदर्भ	आवश्यकताएँ
1	सेवा की समग्र शर्तें	राज्य वितरण/आपूर्ति कोड	राज्य वितरण/आपूर्ति कोड
2	सम्पूर्ण ग्रिड मानक	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम 2010	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम 2010
3	उपकरण	बीआईएस / आईईसी / आईईईई	बीआईएस / आईईसी / आईईईई
4	मीटर	समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर की स्थापना और संचालन) विनियम 2006	समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर की स्थापना और संचालन) विनियम 2006
5	सुरक्षा और आपूर्ति	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010
6	हार्मोनिक आवश्यकताएँ हार्मोनिक करेंट	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013
7	सिंक्रोनाइजेशन	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	सोलर प्लांट को ग्रिड फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज़ेशन डिवाइस से लैस होना चाहिए। हर बार जनरेटिंग स्टेशन को बिजली व्यवस्था के साथ सिंक्रोनाइज़ किया जाता है। यह कनेक्शन के बिंदु पर +/- 5% से अधिक वोल्टेज में उतार-चढ़ाव का कारण नहीं बनेगा।
8	वोल्टेज	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	वोल्टेज-ऑपरेटिंग विंडो को समस्यात्मक ट्रिपिंग को कम करना चाहिए और नोमीनल कनेक्टेड वोल्टेज के 80% से 110% की ऑपरेटिंग रेंज के तहत होना चाहिए। 2 सेकंड के क्लियरिंग समय के बाद, सौर संयंत्र को खुद को ग्रिड से अलग करने में सक्षम होना चाहिए।

9	फ्लिकर	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	सौर संयंत्र के संचालन से आईईसी 61000 मानकों या अन्य समकक्ष भारतीय मानकों, यदि कोई हो, में बताई गई सीमा से अधिक वोल्टेज फ्लिकर नहीं होनी चाहिए।
10	आवृत्ति	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	जब वितरण प्रणाली की आवृत्ति निर्दिष्ट शर्तों के बाहर चली जाती है (ऊपरी तरफ 50.5 हर्ट्ज और निचली तरफ 47.5 हर्ट्ज), तो 0.2 सेकंड के क्लियरिंग समय के साथ आवृत्ति ट्रिप फ़ंक्शन अधिक और कम होना चाहिए।
11	डीसी इंजेक्शन	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	इंटरकनेक्शन बिंदु पर पूर्ण रेटेड आउटपुट के 0.5% से अधिक डीसी पावर या किसी भी ऑपरेटिंग स्थिति के तहत वितरण प्रणाली में रेटेड इन्वर्टर आउटपुट करंट का 1% से अधिक इंजेक्ट नहीं करना चाहिए।
12	पावर फैक्टर	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	जबिक इन्वर्टर का आउटपुट 50% से अधिक है, 0.9 से अधिक का लैगिंग पावर फैक्टर संचालित होना चाहिए।
13	आइलैंडिंग और डिस्कनेक्शन	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	फॉल्ट, वोल्टेज या फ़्रीक्वेंसी भिन्नता की स्थिति में सौर परियोजना को निर्धारित अवधि पर आईईसी मानक के अंदर आइलांडिंग/डिस्कनेक्ट करना चाहिए
14	ओवरलोड और ओवरहीट	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	इन्वर्टर में ओवरलोड या ओवरहीटिंग के मामले में स्वचालित रूप से स्विच ऑफ करने की सुविधा होनी चाहिए और सामान्य स्थिति बहाल होने पर फिर से शुरू करना चाहिए।
15	समानांतर डिवाइस	आईईईई 519 सीईए (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2013	सौर मंडल का समानांतर उपकरण इंटरकनेक्शन बिंदु पर सामान्य वोल्टेज के 220% का सामना करने में सक्षम होगा।
16	नोट: मानक/विनिर्देश रि संशोधन/परिवर्तन के अध		ारा समय-समय पर संबंधित वेबसाइटों पर

अनुलग्नक-2

नेट मीटरिंग/नेट	बिलिंग/सकल	मीटरिंग	व्यवस्था के त	हत नवीकर	णीय ऊर्जा	प्रणाली र्व	ने स्थापना वे	न् लिए	आवेदन	पत्र का
नमूना										

(आवेदक द्वारा बड़े अक्षरों में भरा ज	ाना है)	
प्रशासनिक कार्यालय का नाम	[]
वितरण लाइसेंसधारी का नाम	[]

1.	आवेदक	का	पूरा	नाम:

- 2. उस परिसर का पता जहां नवीकरणीय है ऊर्जा प्रणाली/परियोजना स्थापित की जानी है।
- 3. टेलीफोन/मोबाइल नंबर:
- 4. ई-मेल आईडी (यदि उपलब्ध हो):
- 5. संचार के लिए वैकल्पिक पता (यदि कोई हो):
- 6. मौजूदा बिजली कनेक्शन की श्रेणी:
- 7. उपभोक्ता संख्या:
- 8. स्वीकृत भार/अनुबंध मांग: (किलोवाट/केवीए/एचपी में)
- 9. वोल्टेज जिस पर मौजूदा आपूर्ति दी गई है (वोल्ट में):
- 10. स्थापित की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की प्रस्तावित एसी क्षमता (किलोवाट में):
- 11. सोलर इन्वर्टर के आउटपुट पर वोल्टेज: (वोल्ट में), यदि लागू हो।
- 12. भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क का विवरण

,		
(रुपञ	500/-	١.
1777	JUU/-	•

दिनांक:	आवेदक के हस्ताक्षर।
आवेदन संख्या।	
प्राप्ति की तिथि:	

आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची

- 1. भुगतान किए गए नवीनतम बिजली बिल की प्रति।
- 2. साझेदारी फर्मों के मामले में हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी; कंपनियों के मामले में निदेशक मंडल द्वारा पारित संबंधित वितरण लाइसेंसधारी से निपटने के लिए हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत करने वाले प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति (जैसा लागू हो)।
- 3. पीवी मॉड्यूल, इन्वर्टर और सिस्टम के अन्य उपकरणों को स्थापित करने के लिए तकनीकी विवरण स्थापित करने का प्रस्ताव।
- 4. पंजीकरण शुल्क के भुगतान का प्रमाण।

पावती

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किलोवाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की कनेक्टिविटी/स्थापना के लिए से एक आवेदन प्राप्त हुआ।

प्राप्ति की तिथि	आवेदक का नाम	एप्लीकेशन नंबर	मौजूदा उपभोक्ता संख्या	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

दिनांक:

अनुलग्नक - 3

नेट मीटरिंग कनेक्शन व्यवस्था का नमूना

	(तारीख) को पात्र उपभोक्ता (पता) परिसर है और जिसका
	और
वितरण लाइसेंसधारी जिसका पर इसका पंजीकृत कार्यालय है।	(इसके बाद 'लाइसेंसधारी' के रूप में संदर्भित) पर स्थित है; जो दूसरा पक्ष है के बीच निष्पादित हुआ
विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी जि	त् कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत सेस्टम और इससे संबंधित मामले) विनियम, 2023 (इसके बाद तर्गत नेट मीटरिंग व्यवस्था के अनुमोदन के लिए लाइसेंस के लिए इसकी कनेक्टिविटी की मांग की है;
और जबकि, लाइसेंसधारी अपनी किलोवाट लिए पात्र उपभोक्ता को नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के	: की नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से उत्पन्न बिजली के इंजेक्शन के इलिए सहमत हो गया है;
दोनों पक्ष एतद्वारा निम्नानुसार सहमत हैं:-	

1. पात्रता

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना वितरण नेटवर्क में एकीकृत होने के लिए लागू मानदंडों को पूरा करती है, और पात्र उपभोक्ता इस समझौते की अवधि के लिए तदनुसार परियोजना का रखरखाव करेगा।

2. तकनीकी और इंटर-कनेक्शन आवश्यकताएँ

- 2.1. मीटरिंग व्यवस्था और लाइसेंसधारी के नेटवर्क के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का इंटर-कनैक्शन नेट मीटरिंग और वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी और स्थापना के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मिटर की स्थापना और संचालन के लिए निर्दिष्ट तकनीकी मानकों और मानदंडों के प्रावधानों के अनुसार होगा।
- 2.2. पात्र उपभोक्ता सहमत है, कि वह लाइसेंसधारी के नेटवर्क में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के कनेक्शन से पहले, एक आइसोलेशन डिवाइस (स्वचालित और इनवर्टर और बाहरी मैनुअल रिले के अंदर निर्मित दोनों) स्थापित करेगा; और यदि वितरण नेटवर्क की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक हो तो लाइसेंसधारी की उस तक पहुंच होगी।
- 2.3. लाइसेंसधारी इंटरफेस/इंटर-कनेक्शन प्वाइंट और मीटरिंग प्वाइंट को निर्दिष्ट करेगा।
- 2.4. पात्र उपभोक्ता अपने सिस्टम में सभी प्रासंगिक डेटा, जैसे वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर स्थिति, लाइसेंसधारी द्वारा आवश्यक होने पर प्रस्तुत करेगा।

3. सुरक्षा

- 3.1. लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली से जुड़े उपकरण प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय (आईईईई/आईईसी) या भारतीय मानकों (बीआईएस) के अनुरूप होंगे, जैसा भी मामला हो, और विद्युत उपकरण की स्थापना सुरक्षा और बिजली की आपूर्ति के मामले में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी।
- 3.2. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के डिजाइन, स्थापना, रखरखाव और संचालन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के साथ-साथ लाइसेंसधारक के नेटवर्क की सुरक्षा के अनुकूल तरीके से किया जाएगा।
- 3.3. यदि, किसी भी समय, लाइसेंसधारी यह निर्धारित करता है कि पात्र उपभोक्ता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना लाइसेंसधारी के अन्य उपभोक्ताओं या उसकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रही है या नुकसान पहुंचा सकती है और/या ऐसा परिणाम हो सकता है, तो योग्य उपभोक्ता लाइसेंसधारी से प्राप्त निर्देश पर वितरण नेटवर्क से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को डिस्कनेक्ट कर देगा और पुन: जोड़ने से पहले अपने स्वयं के खर्च पर सुधारात्मक उपाय करेगा।

3.4. लाइसेंसधारी किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जिसके परिणामस्वरूप मानव या जानवरों को चोट लगी हो या ग्रिड की आपूर्ति बंद होने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से बैक-फीडिंग के कारण संपत्ति को नुकसान हो सकता है। ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए लाइसेंसधारी ऐसी आकस्मिकताओं की स्थिति में किसी भी समय इंस्टॉलेशन को डिस्कनेक्ट कर सकता है।

4. अन्य मंजूरी और स्वीकृतियां

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वितरण नेटवर्क से जोड़ने से पहले पात्र उपभोक्ता को किसी भी वैधानिक अनुमोदन और मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि विद्युत निरीक्षक या नगरपालिका या अन्य प्राधिकरणों से।

5. समझौते की अवधि और समापन

यह समझौता 20 साल की अवधि के लिए होगा. लेकिन निम्न के द्वारा समय से पहले समाप्त किया जा सकता है.

- क आपसी सहमति से; या
- ख योग्य उपभोक्ता द्वारा, लाइसेंसधारी को 30 दिनों का नोटिस देकर;
- ग लाइसेंसधारी द्वारा, 30 दिनों का नोटिस देकर, यदि पात्र उपभोक्ता इस समझौते की किसी भी शर्तों या नेट मीटरिंग विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और 30 दिनों के अंदर या ऐसी अन्य उचित अविध के अंदर इस तरह के उल्लंघन का समाधान नहीं करता है, या इस तरह के उलंघन की सूचना प्राप्त होने के बाद ऐसी अविध के अंदर जैसा कि प्रावधान किया जा सकता है, या लाइसेंसधारी द्वारा लिखित रूप में सूचित किसी अन्य वैध कारण के लिए।

6. उपलब्धता और डिस-कनैक्शन

- 6.1. पात्र उपभोक्ता, उसके द्वारा लाइसेंसधारी को मीटरिंग उपकरण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के स्वचालित और मैनुअल दोनों डिस्कनेक्टिंग उपकरणों तक पहुंच प्रदान करेगा;
- 6.2. एक आकस्मिक या आउटेज स्थिति में यदि लाइसेंसधारी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के स्वचालित और मैनुअल दोनों डिस्कनेक्टिंग उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकता है, तो यह परिसर में बिजली की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट कर सकता है।
- 6.3. खंड 5 के तहत इस समझौते को समाप्त करने पर, पात्र उपभोक्ता लाइसेंसधारी के नेटवर्क से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को तुरंत डिस्कनेक्ट कर देगा।

7. दायित्व

- 7.1 पक्ष नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना, वितरण नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी और सिस्टम के संचालन के दौरान किसी भी पार्टी की लापरवाही या कदाचार के नुकसान या प्रतिकूल प्रभावों के लिए एक-दूसरे की क्षतिपूर्ति करेंगे।
- 7.2. दोनों पक्ष लाभ या राजस्व की किसी भी हानि, व्यापार में रुकावट, अनुबंध या सद्भावना की हानि, या अप्रत्यक्ष, परिणामी, आकस्मिक या विशेष क्षतियों के लिए एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगी, जिनमें अन्य के साथ साथ दंडात्मक या कठोर क्षति, शामिल हैं, चाहे ये देनदारियाँ, नुकसान या क्षति अनुबंध में, या अन्यथा उत्पन्न होती है।

8. वाणिज्यिक समझौता

- 8.1. इस समझौते के तहत वाणिज्यिक निपटान नेट मीटरिंग विनियमों के अनुसार होंगे।
- 8.2. लाइसेंसधारी पात्र उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि उसकी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना ग्रिड/नेटवर्क में बिजली आपूर्ति की विफलता के कारण लाइसेंसधारी के नेटवर्क में उत्पन्न अधिशेष बिजली को इंजेक्ट करने में असमर्थ है।
- 8.3. मौजूदा मीटरिंग सिस्टम, यदि नेट मीटरिंग विनियमों के अनुसार नहीं है, तो एक द्वि-दिशा मीटर (संपूर्ण वर्तमान/सीटी संचालित) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को मापने के लिए एक अलग उत्पादन

मीटर प्रदान किया जा सकता है। ऊर्जा के निर्यात और आयात को रिकॉर्ड करने के लिए लाइसेंसधारी के नेटवर्क के इंटर-कनेक्शन बिंदु पर द्वि-दिश मीटर (संपूर्ण करेंट / सीटी संचालित) स्थापित किया जाएगा।

- 8.4. एक-दिश और द्वि-दिश मीटर एक ही निकटता में अलग-अलग मीटर बॉक्स में लगाए जाएंगे।
- 8.5. लाइसेंसधारी मीटर रीडिंग की निर्धारित तिथि पर नेट मीटर्ड ऊर्जा के लिए मासिक विद्युत बिल जारी करेगा। यदि निर्यात की गई ऊर्जा आयातित ऊर्जा से अधिक है, तो लाइसेंसधारी को निर्यात की गई शुद्ध ऊर्जा को बिजली की क्रेडिट यूनिट के रूप में दिखाना होगा जैसा कि नेट मीटरिंग विनियमों में निर्दिष्ट है। यदि निर्यात की गई ऊर्जा आयातित ऊर्जा से कम है, तो पात्र उपभोक्ता को उस उपभोक्ता श्रेणी के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित प्रचलित टैरिफ पर आयातित शुद्ध ऊर्जा के लिए वितरण लाइसेंसधारी को भगतान करना होगा, जिससे वह संबंधित है।

9. कनेक्शन की लागत

पात्र उपभोक्ता नेट मीटर के बाद नेट मीटरिंग व्यवस्था लागत को छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा।

10. विवादों का निपटान

- 10.1. इस समझौते के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को दोनों पक्षों द्वारा सद्भावपूर्वक और न्यायसंगत तरीके से तुरंत हल किया जाएगा।
- 10.2 बिलिंग/भुगतान और मीटरिंग से संबंधित विवादों को उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) और फिर निपटान के लिए अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा 6 के तहत नियुक्त लोकपाल को भेजा जाएगा, यदि इसका समाधान सीजीआरएफ में नहीं किया जाता है।

साक्ष्य के रूप में, पात्र उपभोक्ता की ओर से	(नाम)
और	
लाइसेंसधारी की और से	इस समझौते से सहमत हैं।
अनुलग्नक-4	
नेट बिलिंग कनेक्शन व्यवस्थ	ा का नमूना
यह समझौता (स्थान) पर दिनांक (दिन) उपभोक्ता (नाम)) , जो प्रथम पक्ष है	
और	
वितरण लाइसेंसधारी (यहाँ पर 'लाइसेंसधारी' के (पता) पर स्थित है, जो दूसरा पक्ष है के बीच	_
जबिक पात्र उपभोक्ता ने केंद्र शासित प्रदेश 'जम्मू और कश्मीर व विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम और के तहत एक नेट बिलिंग व्यवस्था के अनुमोदन के लिए लाइसेंसधारी नेटवर्क से इसकी कनेक्टिविटी की मांग की है;	इससे संबंधित मामले) विनियम, 2023 के प्रावधानों
और जबिक लाइसेंसधारी अपनी किलोवाट की नवीकर इंजेक्शन के लिए पात्र उपभोक्ता को नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने वे	
दोनों पक्ष एतद्वारा निम्नानुसार सहमत हैं:	
1. पात्रता	

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली वितरण नेटवर्क में एकीकृत होने के लिए लागू मानदंडों को पूरा करती है, और पात्र उपभोक्ता इस समझौते की अवधि के लिए तदनुसार सिस्टम का रखरखाव करेगा।

2. तकनीकी और इंटर-कनेक्शन आवश्यकताएँ

- 2.1 मीटरिंग व्यवस्था और लाइसेंसधारी के नेटवर्क के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का इंटर-कनैक्शन नेट मीटरिंग और वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी और स्थापना के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मिटर की स्थापना और संचालन के लिए निर्दिष्ट तकनीकी मानकों और मानदंडों के प्रावधानों के अनुसार होगा। पात्र उपभोक्ता सहमत है, कि वह लाइसेंसधारी के नेटवर्क में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के कनेक्शन से पहले, एक आइसोलेशन डिवाइस (स्वचालित और इनवर्टर और बाहरी मैनुअल रिले के अंदर निर्मित दोनों) स्थापित करेगा; और यदि वितरण नेटवर्क की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक हो तो लाइसेंसधारी की उस तक पहंच होगी।
- 2.2 लाइसेंसधारी इंटरफेस/इंटर-कनेक्शन प्वाइंट और मीटरिंग प्वाइंट को निर्दिष्ट करेगा।
- 2.3 पात्र उपभोक्ता अपने सिस्टम में सभी प्रासंगिक डेटा, जैसे वोल्टेज, आवृत्ति, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर स्थिति, लाइसेंसधारी को आवश्यक होने पर प्रस्तुत करेगा।

3 सुरक्षा

- 3.1 लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली से जुड़े उपकरण प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय (आईईईई/आईईसी) या भारतीय मानकों (बीआईएस) के अनुरूप होंगे, जैसा भी मामला हो, और विद्युत उपकरण की स्थापना सुरक्षा और बिजली की आपूर्ति के मामले में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी।
- 3.2 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के डिजाइन, स्थापना, रखरखाव और संचालन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के साथ-साथ लाइसेंसधारक के नेटवर्क की सुरक्षा के अनुकूल तरीके से किया जाएगा।
- 3.3 यदि, किसी भी समय, लाइसेंसधारी यह निर्धारित करता है कि पात्र उपभोक्ता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना लाइसेंसधारी के अन्य उपभोक्ताओं या उसकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रही है या नुकसान पहुंचा सकती है और/या ऐसा परिणाम हो सकता है, तो योग्य उपभोक्ता लाइसेंसधारी से प्राप्त निर्देश पर वितरण नेटवर्क से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को डिस्कनेक्ट कर देगा और पुन: जोड़ने से पहले अपने स्वयं के खर्च पर सुधारात्मक उपाय करेगा।
- 3.4 लाइसेंसधारी किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जिसके परिणामस्वरूप मानव या जानवरों को चोट लगी हो या ग्रिड की आपूर्ति बंद होने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से बैक-फीडिंग के कारण संपत्ति को नुकसान हो सकता है। ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए लाइसेंसधारी ऐसी आकस्मिकताओं की स्थिति में किसी भी समय इंस्टॉलेशन को डिस्कनेक्ट कर सकता है।

4 अन्य मंजूरी और स्वीकृतियां

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वितरण नेटवर्क से जोड़ने से पहले पात्र उपभोक्ता को किसी भी वैधानिक अनुमोदन और मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि विद्युत निरीक्षक या नगरपालिका या अन्य प्राधिकरणों से।

5 समझौते की अवधि, और समाप्ति

- 5.1 यह समझौता 20 साल की अवधि के लिए होगा, लेकिन निम्न के द्वारा समय से पहले समाप्त किया जा सकता है,
 - क आपसी सहमति से; या
 - ख योग्य उपभोक्ता द्वारा, लाइसेंसधारी को 30 दिनों का नोटिस देकर;
 - ग लाइसेंसधारी द्वारा, 30 दिनों का नोटिस देकर, यदि पात्र उपभोक्ता इस समझौते की किसी भी शर्तों या नेट मीटरिंग विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और 30 दिनों के अंदर या ऐसी अन्य उचित अवधि के अंदर इस तरह के उल्लंघन का समाधान नहीं करता है, या इस तरह के उलंघन की सूचना प्राप्त होने के बाद ऐसी अवधि के अंदर जैसा कि प्रावधान किया जा सकता है, या लाइसेंसधारी द्वारा लिखित रूप में सूचित किसी अन्य वैध कारण के लिए।
 - घ लाइसेंसधारी द्वारा, 30 दिनों का नोटिस देकर, यदि योग्य उपभोक्ता समय पर अपने बकाया का भुगतान करने में विफल रहता है या किसी भी कदाचार में लिप्त होता है।

6. एक्सेस और डिसकनेक्शन

6.1 पात्र उपभोक्ता, उसके द्वारा लाइसेंसधारी को मीटरिंग उपकरण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के स्वचालित और मैनुअल दोनों डिस्कनेक्टिंग उपकरणों तक पहुंच प्रदान करेगा;

- 6.2 एक आकस्मिक या आउटेज स्थिति में यदि लाइसेंसधारी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के स्वचालित और मैनुअल दोनों डिस्कनेक्टिंग उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकता है. तो यह परिसर में बिजली की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट कर सकता है।
- 6.3 खंड 5 के तहत इस समझौते को समाप्त करने पर. पात्र उपभोक्ता लाइसेंसधारी के नेटवर्क से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को तुरंत डिस्कनेक्ट कर देगा।

दायित्व 7.

- 7.1 दोनों पक्ष नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना, वितरण नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी और सिस्टम के संचालन के दौरान किसी भी पक्ष की लापरवाही या कदाचार के नुकसान या प्रतिकृल प्रभावों के लिए एक-दूसरे की क्षतिपूर्ति करेंगे।
- 7.2 दोनों पक्ष लाभ या राजस्व की किसी भी हानि, व्यापार में रुकावट, अनुबंध या सद्भावना की हानि, या अप्रत्यक्ष, परिणामी, आकस्मिक या विशेष क्षतियों के लिए एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगी, जिनमें अन्य के साथ साथ दंडात्मक या कठोर क्षति, शामिल हैं, चाहे ये देनदारियाँ, नुकसान या क्षति अनुबंध में, या अन्यथा उत्पन्न होती है।

8. वाणिज्यिक समझौता

- 8.1 इस समझौते के तहत वाणिज्यिक निपटान नेट मीटरिंग विनियमों के अनुसार होंगे।
- 8.2 नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन द्वारा बिलिंग अवधि में निर्यात की गई इकाइयों को वितरण लाइसेंसधारी द्वारा समझौते की पूरी अवधि के लिए अनुमोदित फीड-इन टैरिफ के अनुसार ____ रुपये प्रति किलोवाट घंटा में खरीदा
- 8.3 लाइसेंसधारी पात्र उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि उसकी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली ग्रिड/नेटवर्क में बिजली आपूर्ति की विफलता के कारण लाइसेंसधारी के नेटवर्क में उत्पन्न अधिशेष बिजली को इंजेक्ट करने में असमर्थ है।
- 8.4 लाइसेंसधारी, आयोग द्वारा अनुमोदित फीड-इन टैरिफ पर नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ता द्वारा निर्यात की गई इकाइयों के लिए लेखांकन के बाद और लागू टैरिफ आदेश पर ग्रिड से आयातित इकाइयों के लिए लेखांकन के बाद बिलिंग चक्र के अनुसार शुद्ध बिल जारी करेगा।

9 कनेक्शन लागत

पात्र उपभोक्ता नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की स्थापना से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मीटर की लागत शामिल है।

10 विवादों का समाधान

- 10.1 इस समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को दोनों पक्षों द्वारा सद्भावपूर्वक और न्यायसंगत तरीके से त्रंत हल किया जाएगा।

	मा शिकायत का, जिसका समाधान लाइससधारा द्वारा नहा किया ग उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में भेजेगा।	गया ह,
साक्ष्य के रूप में, पात्र उपभोक्ता की ओर से	(नाम)	
और लाइसेंसधारी की और से	इस समझौते से सहमत हैं।	
	अनुलग्नक-5	
ग्रोस मीट	टरिंग कनेक्शन व्यवस्था का नमूना	
	(दिन) (महीना) (वर्ष) क _ (नाम) जिसके पास या लीज पर	को पात्र _(पता)
ठ्यमार्का या सासर यदा स्थामा स्थित परिसर है, जो प्रथम पक्ष है	_ (પાન) ાંગલાં મહિલાએ વર્	_(1(11)

वितरण लाइसेंसधारी (यहाँ पर 'लाइसेंसधारी' के रूप में संदर्भित), और जिसका प्रतिनिधित्व
(नामित अधिकारी का नाम) कर रहे हैं और जिसका पंजीकृत कार्यालय
(पता) पर स्थित है, जो दूसरा पक्ष है, के बीच निष्पादित किया गया है।
और जबिक इस समझौते के नियम एवं शर्तों और केंद्र शासित प्रदेश 'जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए
संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग ((ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम और इससे संबंधित मामले) विनियम,
2023 के प्रावधानों के अनुसार, (लाइसेंसधारी का नाम) किलोवाट
क्षमता के अपने नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न बिजली को लाइसेंसधारी की बिजली प्रणाली में इंजेक्ट करने के लिए
पात्र उपभोक्ता को ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सहमत है

दोनों पक्ष एतद्वारा निम्नानुसार सहमत हैं:

1 पात्रता

1.1 नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली वितरण नेटवर्क में एकीकृत होने के लिए लागू मानदंडों को पूरा करती है, और पात्र उपभोक्ता इस समझौते की अवधि के लिए तदनुसार सिस्टम को बनाए रखेगा।

2 तकनीकी और इंटरकनेक्शन की आवश्यकताएँ

- 2.1 ग्रोस मीटरिंग प्रणाली के तहत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र समय-समय पर संशोधित केंद्र शासित प्रदेश 'जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली और इससे संबंधित मामले) विनियम, 2023 में निर्दिष्ट मानकों और निम्नलिखित विनियमों और नियमों की अनुपलना करेगा:
 - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2013
 और उसके बाद के संशोधन:
 - ii. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर की स्थापना और संचालन) विनियम 2006 और उसके बाद के संशोधन;
 - iii. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति के उपाय) विनियम, 2010 और उसके बाद के संशोधन;
 - iv. आयोग द्वारा तैयार ग्रिड कोड विनियम;
 - v. आयोग द्वारा तैयार आपूर्ति संहिता विनियम;
 - vi. वितरण लाइसेंसधारी के विद्युत उपभोक्ता पर लागू कोई अन्य प्रावधान।
- 2.2 पात्र उपभोक्ता सहमत है, कि वह लाइसेंसधारी के नेटवर्क में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के कनेक्शन से पहले, एक आइसोलेशन डिवाइस (स्वचालित और इनवर्टर और बाहरी मैनुअल रिले के अंदर निर्मित दोनों) स्थापित करेगा; और यदि वितरण नेटवर्क की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक हो तो लाइसेंसधारी की उस तक पहुंच होगी।
- 2.3 पात्र उपभोक्ता इस बात से सहमत है कि बिजली बंद होने की स्थिति में लाइसेंसधारी की फोटोवोल्टिक प्रणाली स्वचालित रूप से डिस्कनेक्ट/आइसोलेट हो जाएगी और उसका संयंत्र लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली में बिजली नहीं डालेगा।
- 2.4 वितरण प्रणाली से जुड़े सभी उपकरण प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय (आईईईई/आईईसी) या भारतीय मानकों (बीआईएस) के अनुरूप होने चाहिए और विद्युत उपकरणों की स्थापना को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति के उपाय) विनियम, 2010 का अनुपालन करना चाहिए।
- 2.5 पात्र उपभोक्ता सहमत है कि लाइसेंसधारी इंटरफेस/इंटरकनेक्शन प्वाइंट और मीटरिंग प्वाइंट निर्दिष्ट करेगा
- 2.6 पात्र उपभोक्ता और वितरण लाइसेंसधारी, संबंधित सीईए और जम्मू और कश्मीर के जेईआरसी यूटी और लद्दाख के यूटी विनियमों के संचालन और रखरखाव के संबंध में संयंत्र, ड्राइंग और डायग्राम, साइट जिम्मेदारी अनुसूची, हार्मोनिक्स, सिंक्रोनाइज़ेशन, वोल्टेज, फ़्रीक्वेंसी, फ्लिकरिंग का पालन करने के लिए सहमत हैं।

2.7 वितरण प्रणाली को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखने के लिए लाइसेंसधारी के दायित्व के कारण, पात्र उपभोक्ता सहमत है कि यदि लाइसेंसधारी द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि संबंधित मालिक की फोटोवोल्टिक प्रणाली या तो अन्य उपभोक्ताओं या लाइसेंसधारी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है और/या प्रतिकूल प्रभाव पैदा करती है, तो पात्र उपभोक्ता को लाइसेंसधारी के निर्देश पर तुरंत फोटोवोल्टिक प्रणाली को वितरण प्रणाली से डिस्कनेक्ट करना होगा और पुन: संयोजन से पहले अपने खर्च पर समस्या को ठीक करना होगा।

3 मंजूरी और अनुमोदन

3.1 पात्र उपभोक्ता फोटोवोल्टिक प्रणाली को वितरण प्रणाली से जोड़ने से पहले सभी आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी (पर्यावरण और ग्रिड कनेक्शन से संबंधित) प्राप्त करने के लिए सहमत हैं।

4 एक्सेस और डिसकनेक्शन

- 4.1 लाइसेंसधारी के पास हर समय स्वचालित और मैनुअल दोनों तरह के नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के मीटरिंग उपकरण और डिस्कनेक्टिंग साधनों तक पहुंच होगी।
- 4.2 आपातकालीन या आउटेज की स्थिति में, जहां स्विच या ब्रेकर जैसे स्वचालित और मैनुअल दोनों प्रकार के डिस्कनेक्टिंग साधनों तक पहुंच नहीं है, वहाँ लाइसेंसधारी पात्र उपभोक्ता के परिसर में बिजली को काट सकता है।

5 दायित्व

- 5.1 पात्र उपभोक्ता और लाइसेंसधारी फोटोवोल्टिक प्रणाली या लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली के कनेक्शन और संचालन में किसी भी पक्ष की लापरवाही या जानबूझकर कदाचार से होने वाले नुकसान या प्रतिकूल प्रभावों के लिए एक-दूसरे की क्षतिपूर्ति करेंगे।
- 5.2 दोनों पक्ष लाभ या राजस्व की किसी भी हानि, व्यापार में रुकावट, अनुबंध या सद्भावना की हानि, या अप्रत्यक्ष, परिणामी, आकस्मिक या विशेष क्षतियों के लिए एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगी, जिनमें अन्य के साथ साथ दंडात्मक या कठोर क्षति, शामिल हैं, चाहे ये देनदारियाँ, नुकसान या क्षति अनुबंध में, या अन्यथा उत्पन्न होती है।
- 5.3 लाइसेंसधारी आयोग द्वारा अपने प्रासंगिक आदेश में निर्दिष्ट दायरे से बाहर केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए किसी भी वित्तीय या अन्य प्रोत्साहन के लिए पात्र उपभोक्ता द्वारा वितरण या वसूली के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 5.4 लाइसेंसधारी अपने आरपीओ को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से बिजली उत्पादन की मात्रा पर विचार कर सकता है।

6 वाणिज्यिक समझौता

6.1 इस समझौते के तहत सभी वाणिज्यिक निपटान आयोग द्वारा जारी पूर्वोक्त विनियमों का पालन करेंगे।

7 कनेक्शन की लागत

7.1 पात्र उपभोक्ता फोटोवोल्टिक प्रणाली की स्थापना से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा जिसमें मीटरिंग और इंटरकनेक्शन लागत शामिल है। प्रथम पक्ष फोटोवोल्टिक प्रणाली को ग्रिड से जोड़ने के लिए आवश्यक सर्विस लाइन में संशोधनों और उन्नयन की वास्तविक लागत का भृगतान करने के लिए सहमत है, यदि यह आवश्यक है।

8 समापन

- 8.1 पात्र उपभोक्ता लाइसेंसधारी को 30 दिन की पूर्व सूचना देकर किसी भी समय अनुबंध समाप्त कर सकता है।
- 8.2 लाइसेंसधारी को 30 दिनों की पूर्व लिखित सूचना पर समझौते को समाप्त करने का अधिकार है, यदि योग्य उपभोक्ता इस समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है और उल्लंघन के लाइसेंसधारी से लिखित नोटिस प्राप्त करने के 30 दिनों के अंदर उल्लंघन का समाधान नहीं करता है।
- 8.3 पात्र उपभोक्ता इस अनुबंध की समाप्ति पर, लाइसेंस वितरण प्रणाली से नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को समयबद्ध तरीके से और लाइसेंसधारी की संतुष्टि के लिए डिस्कनेक्ट कर देगा।

· ·	. 5	•	0. 0		^	3
इसके साक्ष्य मे	(पात्र उपभोक्ता या	ततीय पक्ष स्वा	मी) की	और से	श्री	और

(लाइसेंसधारक) की ओर से श्री दो मूल प्रतियों में इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं।

पात्र उपभोक्ता/तृतीय पक्ष

नाम:

पता:

सार्विस कनेक्शन संख्या

वितरण लाइसेंसधारी

नाम:

पद:

कार्यालय का पता:

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION FOR THE UT OF JAMMU AND KASHMIR AND THE UT OF LADAKH. NOTIFICATION

Jammu, the 29th May, 2023

No. JERC-JKL/REG/2023/11.—Whereas, in the exercise of powers conferred under Section 61(h), and Section 86(1) (e) read with sub-section (I) and clause (zd) and (zi) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and all powers enabling it in that behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh hereby makes the following Regulations, namely:

Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Grid Interactive Renewable Energy system and its related matters) Regulations, 2023

1. Short Title, Commencement, and extent

- 1.1 These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh (Grid Interactive Renewable Energy system and its related matters) Regulations, 2023.
- 1.2 These Regulations shall come into force from the date of publication in the official gazette.
- 1.3 These Regulations shall extend to the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.

2. Definitions, Abbreviations, and Interpretations

- 2.1. In these Regulations, unless the context otherwise requires:
 - (1) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and subsequent amendments thereof;
 - (2) "Average Power Purchase Cost" (APPC) means the weighted average price at which the Distribution Licensee has purchased or is expected to purchase electricity (excluding procurement from RE sources), including the cost of self-generation, if any, as approved by the Commission in the relevant Retail Supply Tariff Order or any other general or specific Order;
 - (3) "Authority" means the Central Electricity Authority referred to in sub-section (1) of Section 70 of the Act;
 - (4) **"Billing cycle"** means the period for which regular electricity bills as specified by the Commission, are prepared for different categories of consumers by the Licensee;
 - (5) "COD" or "Commercial Operation Date" or "Date of commercial operation" mean the date on which the Renewable Energy system is synchronized with the grid system;
 - (6) "Check Meter" means a meter, which shall be connected to the same core of the current transformer (CT) and voltage transformer (VT) to which the Renewable Energy Meter is connected and shall be used for accounting and billing of electricity in case of failure of the main meter or Renewable Energy Meter;

- (7) "Commission" means the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh constituted under the Act;
- (8) "Connection Agreement" means the Gross metering or net-billing (net feed-in) or net-metering inter-connection Agreement entered into between the Distribution Licensee and the Consumer:
- (9) "Consumer" means a consumer as defined in the Act;
- (10) "Consumer Grievances Redressal Forum (CGRF)" means the forum for redressal of grievances of Consumers, established under section 42(5) of the Act;
- (11) "Contracted Load" or "Contract Demand" means the maximum demand in kW, kVA, or HP, agreed to be supplied by the Distribution Licensee and as indicated in the Agreement executed between the Licensee and the Consumer;
- (12) "Distribution Licensee" means a person granted a License under Section 14 (b) of the Act authorizing him to operate and maintain a distribution system and supply electricity to the consumers in his area of supply;
- (13) "Electricity Supply Code" means the Electricity Supply code specified by the Commission under section 50 of the Act;
- (14) **"Eligible Consumer"** means a consumer of electricity in the area of supply of the Distribution Licensee, who intends to use a renewable energy system in his premises to offset all or part or no part of the own 's electrical requirements, given that such systems can be self-owned or third party leasing such system to the consumer;
- (15) "Feed-in-Tariff" means the Generic Tariff determined by the Commission for the generation of electricity from Renewable Energy projects for Gross Metering or net-billing in accordance with the Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources Regulation framed by the Commission;
- (16) "Grid" means the low voltage electrical network, the distribution, and transmission network, or the high voltage backbone system of inter-connected transmission lines, sub-stations, and generating plants, for the sale of energy or wheeling of energy as defined in these Regulations;
- (17) "Gross-metering" means a mechanism whereby the total energy generated from the Grid Interactive Renewable Energy system of a Prosumer and the total energy consumed by the Prosumer is accounted separately through appropriate metering arrangements and for the billing purpose; whereas, the total energy consumed by the Prosumer is accounted at the applicable retail tariff and total renewable energy generated is accounted for at feed-in tariff determined by the Commission.
- (18) **Group Net Metering"** means an arrangement whereby surplus energy is generated and injected from a Renewable Energy System through Net Meter and the exported energy is adjusted in more than one electricity service connection(s) of the same consumer either at the same or different premise located within the same Distribution Licensee's area of supply;
- (19) "Installed Capacity" means the summation of the nameplate capacities expressed in kWp of all the units of the Renewable Energy system or the capacity of the Renewable Energy system reckoned at the output terminals, approved by the Commission;
- (20) "Interconnection Point for net billing / net metering arrangement" means the interface of the Renewable Energy generating system with the outgoing terminal of the meter in the premises of the prosumer:

Provided that, in case the prosumer is connected at the High Tension (HT) level, the "Interconnection Point" shall mean the interface of the Renewable Energy Generating System with the outgoing terminal of the Distribution Licensees' metering equipment.

- (21) "Interconnection Point for Gross metering arrangement" means the interface of the Renewable Energy Generating System with the incoming terminal of the meter in the premises of the prosumer:
 - Provided that, in case the prosumer is connected at the High Tension (HT) level, the "Interconnection Point" shall mean the interface of the Renewable Energy Generating System;
- (22) "Invoice" means a periodical Bill/Supplementary Bill or an Invoice/ Supplementary Invoice by the Distribution Licensee to the Consumer;

- (23) "Islanding" means an electrical system phenomenon in which distributed generators, powered through Renewable Energy System, continue to power a site or location in the absence of external grid power or grid outage situations.
- (24) "Month" means English calendar month starting with 1st day/date of the month and ending with the last day/date of the month. Part Month will be applicable for a number of days in proportion to the total number of days in the specific month;
- (25) "Net-billing or Net feed-in" means a single bidirectional energy meter used for net-billing or net feed-in at the point of supply wherein the energy imported from the Grid and energy exported from Grid Interactive Renewable Energy system of a Prosumer is valued at two different tariffs, where-
 - (i) the monetary value of the imported energy is based on the applicable retail tariff;
 - (ii) the monetary value of the exported Renewable energy is based on a feed-in tariff determined by the Commission;
 - (iii) the monetary value of the exported energy is deducted from the monetary value of the imported energy to arrive at the net amount to be billed (or credited/carried over);
- (26) "Net metering" means a mechanism whereby renewable energy exported to the grid from Grid Interactive Renewable Energy system of a Prosumer is deducted from energy imported from the Grid in units (kWh) to arrive at the net imported or exported energy and the net energy import or export is billed or credited or carried-over by the distribution licensee on the basis of the applicable retail tariff by using a single bidirectional energy meter for netmetering at the point of supply;
- (27) "Net Meter" means an appropriate bi-directional energy meter capable of recording both imports from the grid and export of electricity generated at Renewable Energy system;
- (28) "Obligated Entity" means the licensed Supplier of Power, Distribution Licensee(s), Captive user(s), and Open Access Consumer(s), identified under Procurement of Renewable Energy Regulations framed by the Commission; and mandated under clause (e) of subsection (1) of Section 86 of the Act to fulfill the Renewable Purchase Obligations as determined by the Commission from time to time;
- (29) **"Ombudsman"** means the person appointed in accordance with Section 42 (6) read with Section 181of the Act;
- (30) "Open Access Consumer" means a person permitted to use an Intra-State Transmission System and /orDistribution System to receive a supply of electricity from a person other than the Distribution Licensee of his area of supply, and the expression includes a Generating Company and a Licensee, who has availed of or intends to avail of Open Access;
- (31) "**Project Developer**" means the developer of the RE Project, who shall develop such a project on his own premises or on premises taken on lease or rent;
- (32) **"Prosumer"** means a person who consumes electricity from the grid and can also inject electricity into the grid for distribution licensee, using the same point of supply.
- (33) "Premises" means and includes roof-tops or any areas on the land, building or infrastructure, or part or combination thereof in respect of which a separate meter or metering arrangement has been provided by the distribution licensee for the supply of electricity.
- (34) "Renewable Energy" means the grid-connected and grid-quality electricity generated from Renewable Energy sources, including a combination of such sources;
- (35) "Renewable Energy Certificate (REC)" means the certificate issued in accordance with the Regulations and the procedures approved by the Central Electricity Regulatory Commission;
- (36) "Renewable Energy Generating System" means the Renewable Energy power system with or without energy storage installed on a Consumer's premises, and owned and/or operated by such Consumer or a third party, that uses Renewable Energy for conversion into electricity;
- (37) **"Renewable Energy Meter"** means the meter used for measuring the gross Renewable energy units generated by the RE Project for the purpose of accounting and billing;

- (38) "Renewable Energy sources" means the renewable sources or combination of such sources, such as Mini, Micro and Small Hydro, Wind, Solar, Biomass including bagasse, bio-fuel, urban or Municipal Solid Waste as defined in the Terms and Conditions for Tariff Determination from Renewable Energy Sources regulation framed by the Commission and such other sources as are recognized or approved by the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India;
- (39) "Renewable Purchase Obligations (RPO)" means renewable power purchase obligations specified by the Commission;
- (40) **"Sanctioned Load"** means the load in kW, kVA, or HP, which the Licensee has agreed to supply from time to time subject to the governing terms and conditions in the absence of an Agreement between the Distribution Licensee and the consumer;
- (41) **"Settlement Period"** means the period beginning from the first day of April as per the English calendar year and ending with the thirty-first day of March of the next year;
- (42) **"Solar Grid Inverter"** means equipment that converts the DC (direct current) power from Solar Power modules to Grid-compatible AC (alternating current) power;
- (43) "State Nodal Agency" means the agency in the concerned State or Union Territory as may be designated by the Commission to act as the agency for accreditation and recommending the renewable energy projects for registration and to undertake such functions as may be specified under clause (e) of sub-section (1) of Section 86 of the Act;
- (44) "Tariff Order" in respect of a Licensee means the applicable retail Tariff Order issued by the Commission for that Licensee indicating the tariff to be charged by the Licensee from various categories of Consumers for the supply of electrical energy and services;
- (45) "Third Party Owned" means a Renewable Energy system Project owned by a Project Developer that is installed on the roof or the Premises as defined in 1(29) above for which a commercial lease or revenue share agreement has been entered into by the Project Developer with the owner;
- (46) **Virtual Net Metering"** means an arrangement whereby entire energy generated from a renewable energy generation project installed at Consumer premise or any other location is injected through Solar Energy Meter and the energy exported is adjusted in either one or more than one electricity service connection(s) of participating Consumer(s) located within the same Distribution Licensee's area of supply;
- (47) **"Year"** or **"Financial Year"** means a period commencing on 1st April of an English calendar year and ending on 31st March of the subsequent calendar year.
- 2.2. **Abbreviations:** In these Regulations, the following shall be interpreted as:
 - i. "EPC" means Engineering Procurement & Construction Contractor authorized by the DistributionLicensee;
 - ii. "kWp" means kilo Watt peak, a term used as a rating of the Solar Plant;
 - "MNRE" means the Ministry of New and Renewable Energy of the Government of India;
- 2.3. All other words and expressions used in these Regulations if not specifically defined herein above, but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act. The other words and expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act but defined under any other law passed by the Parliament applicable to the electricity industry in the State or Union Territory shall have the meaning assigned to them in such law.

3. Scope of Regulations and Extent of Application

- 3.1 These Regulations would apply to:
 - a. Gross Metering Arrangements
 - b. Net Billing (net feed-in) Arrangements
 - c. Net Metering arrangements including Group Net Metering & Virtual Net Metering

Provided that the gross metering or net-billing or net-metering arrangement, as the case may be for the eligible consumers shall be allowed subject to technical feasibility.

Provided that the Group Net Metering Framework shall be applicable to all Consumers, whereas the Virtual Net Metering Framework shall be applicable to residential consumers, Group Housing Societies, and establishments of Government/Local Authorities.

3.2 These Regulations shall be applicable to all Grid Interactive Distributed Renewable Energy generating systems that are commissioned after notification of these Regulations.

4. Eligibility Criteria

4.1 The Eligible Consumer of all categories may set up the Renewable Energy Generating System under the Net Metering Arrangement up to 500 kW capacity.

Provided that the RE generating system of a rating higher than 500 kW can be considered by the Distribution Licensee if the distribution system remains stable with a higher rating RE Project gets connected to the grid.

- 4.2 The Eligible Consumer of all categories may set up the Renewable Energy Generating System under the Net-Billing Arrangement above 500 kW and a maximum up to 1 MW.
- 4.3 The Eligible Consumer of all categories may set up the Renewable Energy Generating System under the Gross Metering Arrangement maximum up to 1 MW.

Provided that the distribution utilities may allow Renewable Energy generating system of rating higher than **1MW under net-billing or gross metering** after conducting load flow studies and ascertaining that the installation of such higher capacity of Renewable Energy generating systems do not have any adverse impact on the grid.

- 4.4 Provided that the eligible consumer can opt for only one arrangement i.e., either net metering or net-billing or gross metering arrangement within the same premises, as specified in these Regulations.
- 4.5 The minimum size of the Renewable Energy Generating System that can be set up under Net Metering, Net-Billing, or Gross Metering Arrangement would be 1 kW.
- 4.6 The capacity of the RE generating system to be installed under Group Net Metering or Virtual Net Metering framework shall not be less than 5 kW and more than 500 kW.
- 4.7 The capacity of the Renewable Energy Generating System to be installed under Net Metering/ Group Net Metering/ Virtual Net Metering or Net-Billing or Gross Metering Arrangement at the Eligible Consumer's premises shall not exceed the Sanctioned load (in kW) or the Contract Demand (in kVA) of the Consumer, as applicable.
- 4.8 Consumers with pending arrears with the Distribution Licensee shall not be eligible for Net Metering or Net Billing or Gross Metering Arrangement under these Regulations.
- 4.9 Net-Metering including Group Net Metering and Virtual Net Metering or Net-Billing or Gross Metering arrangement, as the case may be, shall be permitted by the Distribution Licensee on a non-discriminatory and Distribution Transformer-wise 'first come, first serve' basis to the Eligible Consumers who have installed or intend to install a Renewable Energy Generating System connected to the Network of such Distribution Licensee;

Provided that the inter-connection of such System with the Network of the Distribution Licensee is undertaken in accordance with the standards and norms specified in the Central Electricity Authority (CEA) (Technical Standard for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 or as may be specified in future.

5. Third-Party Owned Renewable Energy System

- 5.1 In the third party owned Renewable Energy system, the following conditions shall apply:
 - a. The Consumer may lease out / rent the Rooftop Space to a Project Developer on a mutual commercial arrangement for setting up a Renewable Energy system under Net Metering including Group Net Metering and Virtual Net Metering or Net Billing or Gross Metering framework. The Consumer will pay the Project Developer for all the energy generated by the Renewable Energy system at a mutually agreed tariff. The commercial arrangement between the Project Developer and the Prosumer will be submitted to the Distribution Licensee for records and the Distribution Licensee will not have any role in a such commercial arrangement. All the provisions of the Net Metering or Net Billing or Gross Metering framework shall be applicable to the Renewable Energy system set up by a Project Developer.
 - b. The Distribution Licensee / Nodal Agency may explore other business models that may facilitate the proliferation of Grid-connected Renewable Energy systems. For any new business model not

envisaged in these Regulations, the Commission will approve the framework for such a business model based on the specific Petition to be filed in this regard.

6. Capacity limits at the Distribution Transformer level.

- 6.1 The Distribution Licensee shall allow Gross Metering / Net Billing / Net Metering including Group Net Metering and Virtual Net Metering Arrangement as the case may be, to Eligible Consumers as specified in these Regulations.
- 6.2 The cumulative capacity of all Renewable Energy Generating Systems under Net Metering, Group Net Metering, Virtual Net Metering Arrangements, and/or Net Billing Arrangements connected to a particular Distribution Transformer/feeder of the Licensee shall be allowed up to 100% of its rated capacity.
- 6.3 The Distribution Licensee shall update on a yearly basis for each of the Distribution Transformers, the Distribution Transformer capacity available for connecting the Renewable Energy system and shall provide the information on its website, as well as to the Commission.
- 6.4 A Distribution Licensee must monitor the capacity limit of DT on a regular basis and shall refuse to connect the new RE system connection or arrangement once DT capacity reaches 100% of its rated capacity.

7. Metering Arrangement

- 7.1 The metering system shall be as per the Central Electricity Authority (Installation & Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time.
- 7.2 All meters shall have Advanced Metering Infrastructure (AMI) facility with RS 485 (or higher) communication port or any other advanced communication facility.
- 7.3Net Meter of the same accuracy class as the Consumer's meter existing before the commissioning of the Renewable Energy system, shall be installed in replacement of the existing meter:

Provided that, if the prosumer is within the ambit of the Time-of-Day ('ToD') Tariff, the Net Meter installed shall be capable of recording ToD consumption and generation:

Provided further that such Meters may be provided by the Distribution Licensee or the Consumer, subject to the same being from the approved list of the suppliers:

Provided also that if the Meter is installed by the Distribution Licensee, its cost shall be recovered from the Consumer before the COD of the Project.

- 7.4The Renewable Energy Meter (a unidirectional meter) is to be installed as an integral part of the Net Metering or Net Billing or Gross Metering arrangement as the case may be, at the point at which the electricity is generated by the Renewable Energy system and delivered to the main panel. The Renewable Energy Meter shall have a facility for recording meter readings using Meter Reading Instrument (MRI) or wireless equipment.
- 7.5 Check Meters shall be mandatory for Renewable Energy systems having a capacity of more than 20 kW. For installations having a capacity less than or equal to 20 kW, the Check Meters would be optional:
 - Provided that the cost of the Check Meter shall be borne by the Consumer, and such meter shall be tested and installed by the Distribution Licensee.
- 7.6The Distribution Licensee shall be responsible for the installation, testing, and maintenance of the metering equipment/system and its adherence to the applicable standards and specifications.
- 7.7The Meters installed, if arranged by the Consumer, shall be inspected, verified for accuracy, and sealed by the Distribution Licensee in the presence of the Consumer or its representative (if he chooses to be present at the time of testing).
- 7.8The meters installed shall be jointly inspected and sealed on behalf of both the parties and shall be tested or checked only in the presence of the consumer and representatives of the Distribution licensee:

Provided that the prosumer shall follow the metering specifications, and provisions for placement of the meter as provided by the Distribution licensee from time to time.

7.9The meter reading taken by the distribution licensee shall form the basis of commercial settlement.

8. Inter-connection with the Distribution Network, Standards, and Safety

8.1 The Distribution Licensee shall ensure that the inter-connection of the Renewable Energy system with its distribution network conforms to the specifications, standards, and other provisions specified in the CEA

(Technical Standard for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013, CEA (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007 including amendments thereto, the CEA (Measures relating to Safety and Electric Supply), Regulations, 2010 including amendments thereto and the Electricity Supply Code Regulations and the state grid code regulations framed by the Commission.

8.2 Renewable Energy generation with Net metering including Group Net Metering and Virtual Net Metering or Net Billing or Gross Metering arrangement will be allowed for all the eligible Consumers of the Distribution Licensee under the jurisdiction of the Commission with/without battery backup support:

Provided that, if an Eligible Consumer opts for connectivity with a battery back-up, the inverter shall have a separate backup wiring to prevent the battery/ decentralized generation (DG) power from flowing into the grid in the absence of grid supply, and that an automatic as well as manual isolation switch shall also be provided.

Provided further that the Inverter shall comply with the Standards prescribed in **Annexure1**.

8.3 The prosumer shall be responsible for the safe operation, maintenance, and rectification of any defect in the Renewable Energy system up to the point of Net Meter, beyond which point such responsibility, including in respect of the Net Meter, shall be that of the Distribution Licensee:

Provided that the Renewable Energy Meter shall be maintained by the Distribution Licensee.

Provided that in case of replacement of defective Net Meter or Renewable Energy Meter, it shall be provided by the prosumer, as mentioned in the proviso to Regulation 7.3 above, and installed as per relevant regulations in force as mentioned in Regulation 7.1 above.

- 8.4 The prosumer shall provide appropriate protection for islanding of the Renewable Energy system from the network of the Distribution Licensee in the event of grid or supply failure.
- 8.5 The prosumer shall be solely responsible for any accident to human being/ animals whatsoever (fatal/non-fatal/departmental/non-departmental) that may occur due to back feeding from the Renewable Energy system when the grid supply is off:

Provided that the Distribution Licensee shall have the right to disconnect the Renewable Energy system from its distribution network at any time in the event of any threat of accident or damage from such Project to its distribution system, for maintenance of the distribution system so as to avoid any accident or damage to it:

Provided further that the prosumer may use his Renewable Energy system in islanding mode for his own consumption.

- 8.6 The Distribution Licensee and prosumer shall discharge their respective duties and responsibilities as specified in the relevant Regulations of the Central Electricity Authority.
- 8.7 HT Consumers opting for Net Metering shall not be required to provide separate connectivity for the Renewable Energy system at the HT voltage level for consumption at LT Level.

9. Communication Facilities

9.1 All grid interactive Renewable Energy systems shall have electricity meters with features to record energy for data storage for injection into the grid through Energy Meter as provided under these Regulations:

Provided that all projects shall have a communication port for exchanging real-time information with the Distribution Licensee:

Provided further that all Meters shall have Advanced Metering Infrastructure (AMI) facility.

10. Billing, Energy Accounting and Settlement

10.1 Net Metering Arrangement

- a. The accounting of electricity exported from the Renewable Energy system and imported from the Grid by the prosumer shall become effective from the date of connectivity of the Renewable Energy system with the distribution network.
- b. The Distribution Licensee shall undertake meter readings of both, the Renewable Energy Generation Meter and the Net Meter, for all prosumers, according to the regular billing cycle.
- c. For each billing period, the Distribution Licensee shall show separately:
 - i. Quantum of Renewable Energy generation recorded in the Renewable Energy Generation Meter in the billing period, including opening and closing balance

- ii. Quantum of electricity Units exported by the prosumer, including opening and closing
- iii. Quantum of electricity Units imported by the prosumer, including opening and closing balance;
- iv. Net quantum of electricity Units billed for payment by the prosumer; and
- v. Net quantum of electricity Units carried over (if surplus) to the next billing period;
- vi. Units from Renewable Energy generation used by the Distribution Licensee for RPO compliance.
- d. The energy generated by the Renewable Energy Generating Station shall be offset against the energy consumption of the consumer from the Distribution Licensee in the following manner:
 - i. If the quantum of electricity exported exceeds the quantum imported during the billing period, the excess quantum shall be carried forward to the next billing period as credited Units of electricity;
 - ii. If the quantum of electricity Units imported by the prosumer during any billing period exceeds the quantum exported, the Distribution Licensee shall raise its bill for the net electricity consumption after adjusting the credited Units as per applicable Tariff Order.
 - iii. In case the prosumer is within the ambit of the Time of Day (ToD) tariff, the electricity consumption in any time block, i.e., peak hours, off-peak hours, etc., shall be first compensated with the quantum of electricity injected in the same time block:

Provided that any excess injection over and above the consumption in any other time block in a billing cycle shall be accounted as if the excess injection had occurred during off-peak hours.

e. The unadjusted net credited Units of electricity at the end of each financial year shall be considered as units purchased by the Distribution Licensee at the Average Power Purchase cost of the concerned Distribution Licensee or Feed-in-Tariff determined for that Year whichever is lower.

Provided that, at the beginning of each Settlement Period, the cumulative quantum of injected electricity carried forward will be re-set to zero.

- f. The Distribution Licensee shall compute the amount payable to the prosumer, latest by April 30th of the following year for the unadjusted net credited Units purchased by it during the financial year as specified in Regulation 10.1(e), and shall pay the amount to the eligible consumer by May 31st of the following year.
- g. The Distribution licensee in addition to consumer tariff shall be eligible to raise the bill for any other charges as allowed by the Commission and any tax/duty/cess imposed by the Government.
- h. The consumer whose entitlement as a consumer of the licensees is ceased or he is not settling his dues to the licensee, shall not be entitled to receive the due amount of the adjustment/credit.
- i. The prosumer shall have recourse, in case of any dispute with the Distribution Licensee regarding billing, to the mechanism specified by the Commission under Sections 42 (5) to (7) of the Act for the redressal of grievances.

10.2 In the case of Group Net Metering, the billing and energy accounting shall be dealt with as under:

- a. Where the export of units during any billing period exceeds the import of units at the connection where the renewable energy generating Project is located, such surplus units injected into the grid shall be adjusted against the energy consumed in the monthly bill of service connection(s) in a sequence indicated in the priority list provided by the Consumer. The sequence of priority for adjustment shall be deemed to have begun with the service connection where the renewable energy generating Project is located;
- b. The priority list for adjustment of the balance surplus energy against other electricity connection(s) may be revised by the Consumer once at the beginning of every financial year with an advance notice of two months;
- c. The electricity consumption in any time block (e.g., peak hours, off-peak hours, etc.) shall be first compensated with the electricity generation in the similar time blocks in the same billing cycle of the Consumer where the renewable energy generating Project is located, and any surplus units injected shall be adjusted against the energy consumed in the monthly bill of service connection(s) in a sequence indicated in the priority list provided by the Consumer, as if the surplus generation/ Energy

Credits occurred during the off-peak time block for Time of Day (ToD) Consumers and normal time block for Non-ToD Consumer;

- d. Where during any billing period, the export of units either in Non-ToD Tariff or ToD Tariff exceeds the import of units by the electricity service connection(s), such surplus units injected by the Consumer shall be carried forward to the next billing period as energy credit and shown as energy exported by the Consumer for adjustment against the energy consumed in subsequent billing periods within the Settlement Period in the sequence indicated in the priority list;
- e. For unadjusted net credited Units of electricity at the end of each financial year, the provisions of Clause 10.1 (e) will be applicable for the connection where the renewable energy generating Project is located.

10.3 In case of Virtual Net Metering, the billing and energy accounting shall be dealt with as under:

- a. The energy generated from the renewable energy generating Project shall be credited in the monthly electricity bill of each participating consumer(s) as per the ratio of procurement from renewable energy generating Project indicated under the agreement/MoU entered on a stamp paper by the Consumer(s) and submitted to the Distribution Licensee;
- b. The Consumer(s) shall have the option to change the share of credit of electricity from renewable energy generating Project by submitting a fresh Agreement/MoU on a stamp paper subject to the ratio of procurement from renewable energy generating Project indicated under the agreement/MoU entered by the Consumer(s) once at the beginning of the financial year with an advance notice of two months;
- c. Where the service connection of any participating consumer(s) is disconnected due to any reason under any law for the time being in force, the unadjusted units/remaining credits of that consumer shall be paid by the Distribution Licensee at the end of the financial year;
- d. The electricity consumption in any time block (e.g., peak hours, off-peak hours, etc.) shall be first compensated with the electricity generation in the similar time blocks in the same billing cycle of the participating consumer(s). Any surplus generation over consumption in any time block in a billing cycle shall be accounted as if the surplus generation/ Energy Credits occurred during the off-peak time block;
- e. Where the units credited during any billing period of any participating Consumer exceeds the import of units by that consumer, such surplus credited units shall be carried forward in the next billing period as energy credits for adjustment against the energy consumed in subsequent billing periods within the settlement period of each participating Consumer(s);
- f. For unadjusted net credited Units of electricity at the end of each financial year, the provisions of Clause 10.1 (e) will be applicable for each participating Consumer(s).

10.4 Net Billing Arrangement

- a. Net billing is the arrangement where the Renewable Energy Generating system is:
 - i. Connected on the consumer side of the net meter,
 - ii. Selling excess power after meeting own requirement (export of power) to a Distribution Licensee at feed—in tariff approved by the Commission:
 - iii. Import of power if any from the distribution licensee shall be charged as per applicable Tariff Order.
- b. The Distribution Licensee shall undertake meter readings of both, the Renewable Energy Generation Meter and the Net Meter, as applicable, according to the regular billing cycle.
- c. For each Billing Period, the Distribution Licensee shall make the following information available on its bill to the Eligible Consumer:
 - i. Quantum of Renewable Energy generation recorded in the Renewable Energy Generation Meter, including opening and closing balance;
 - ii. Quantum of electricity units exported to the grid by the prosumer in the billing period, including opening and closing balance;
 - iii. Quantum of electricity units imported from the grid by the prosumer in the billing period, including opening and closing balance;

- iv. Amount of billing credit, if any, in the billing period, including opening and closing balance;
- v. Units from Renewable Energy generation used by the Distribution Licensee for RPO compliance.
- d. The Distribution Licensee shall raise the net bill as per the billing cycle after accounting for the units exported by the Renewable Power Developer at feed—in tariff approved by the Commission and after accounting for units imported from grid at applicable Tariff Order.
- e. The Distribution Licensee shall raise bill on the prosumer in accordance with the following equation:

Energy Bill of consumer = Fixed Charges + other applicable charges and levies + $(E_{DL}x T_{RST})$ - $(E_{RE} * T_{PPA})$ - Billing Credit (Carried forward from last billing cycle);

Where:

- i. Fixed Charges means the Fixed/Demand Charges as applicable to the consumer category as per the applicable retail supply Tariff Order;
- ii. Other applicable charges and levies mean any other charges such as duty, cess, etc.;
- iii. **E**_{DL} means the imported energy units from the Distribution Licensee as recorded by in the bidirectional meter for the billing period;
- iv. **T**_{RST} means the applicable retail supply tariff of the concerned consumer category as per the applicable Tariff Order of the Commission;
- v. **E**_{RE} means the export energy units recorded for the billing period by the bidirectional meter;
- vi. **T**_{PPA} means the feed–in tariff approved by the Commission as per the Agreement entered between the Consumer and Distribution Licensee, in accordance with Regulation 16;
- vii. **Billing Credit** is the amount by which the value of exported Renewable Energy generation in a particular month is more than the value of imported units from the distribution licensee including all other components of the consumer bill.
- f. In case the consumer is subjected to time-of-day tariffs, the energy bill ($\mathbf{E}_{DL} \mathbf{x} \mathbf{T}_{RST}$) shall be computed accordingly.
- g. In case (**E**_{RE} * **T**_{PPA}) is more than {Fixed charges + other applicable charges and levies + (**E**_{DL}x **T**_{RST})}, the utility shall give credit of an amount equal to the difference (Billing Credit), which shall be carried forward to the next billing cycle. No interest shall be payable by Distribution Licensee on such credit amount carried forward.
- h. The net bill amount for a billing period, if payable by the prosumer, then the same shall be paid by the prosumer within the due date of the bill.
- At the end of each Financial Year, any amount payable by Distribution Licensee remaining unadjusted during the financial year shall be paid to the prosumer latest by the end of May of the following Financial Year.
- j. The consumer whose entitlement as a consumer of the licensees is ceased or he is not settling his dues with the licensee, shall not be entitled to receive the due amount of the adjustment/credit.
- k. The prosumer shall have recourse, in case of any dispute with the Distribution Licensee regarding billing, to the mechanism specified by the Commission under Sections 42 (5) to (7) of the Act for the redressal of grievances.

10.5 Gross Metering Arrangement

- a. The Distribution Licensee shall undertake meter readings of both, the Renewable Energy Generation Meter and the Consumer Meter for all prosumers, according to the regular billing cycle.
- b. For each billing period, the distribution licensee shall make the following information available on its bill to the prosumer:

- i. Quantum of Renewable Energy generation recorded in the Renewable Energy Generation Meter, including opening and closing balance;
- ii. Quantum of electricity units consumed from the grid by the prosumer in the billing period, including opening and closing balance;
- iii. Units from Renewable Energy generation used by the Distribution Licensee for RPO compliance
- c. The energy accounting and settlement procedure for consumers installing and operating Renewable Energy systems under gross metering arrangement shall be as per the following procedure:
 - i. For each billing period, the Licensee shall show the quantum of electricity injected by the Renewable Energy System installed at the premises of the prosumer in the billing period.
 - ii. The Distribution Licensee shall reimburse the prosumer for the quantum of injected electricity by the Renewable Energy System during the billing period at the Feed-in-Tariff determined by the Commission for that year.
 - Provided further that, the above Tariff shall be applicable for the entire duration of the Agreement.
 - iii. For each billing period, the Licensee shall show the quantum of electricity consumed from the grid by the prosumer in the billing period.
 - iv. The Distribution Licensee shall prepare the bill for energy consumed from the grid as per the Tariff Order approved by the Commission including fixed Charges /Demand Charges and other applicable charges and levies as applicable to the consumer category as per the applicable Tariff Order;
 - v. The Distribution licensee shall prepare the net bill according to the amount payable by the licensee to the prosumer and amount payable by the prosumer to the licensee for the energy consumed from the grid.
 - vi. The net amount payable by the licensee or the prosumer, as the case may be, shall be paid within the due date mentioned in the bill.
- d. The consumer whose entitlement as a consumer of the licensees is ceased or he is not settling his dues with the licensee, shall not be entitled to receive the due amount.
- e. The prosumer shall have recourse, in case of any dispute with the Distribution Licensee regarding billing, to the mechanism specified by the Commission under Sections 42(5) to (7) of the Act for the redressal of grievances.

11. Penalty or Compensation – Failure of the Metering System

- 11.1 In case of failure of metering system, the provisions of penalty or compensation shall be as per the provisions of the Standards of Performance for Distribution Licensees Regulations regulation framed by the Commission for the Distribution Licensee.
- 11.2 In case of failure to meet the timelines prescribed under these Regulations, the distribution licensee shall be liable to pay compensation to the consumer as specified under Regulation 15.1 (1) below.

12. Late Payment Surcharge

In case the payment by the Distribution Licensee under Regulation 10.1 (e) and Regulation 10.2 (a) above, is delayed beyond 31st of May of that year, a Late Payment Surcharge at the rate of 1.25% per month from the delay beyond 31st May shall be levied on the Distribution Licensee.

13. Charges for Banking of RE Power

The Renewable Energy Projects, whether self-owned or third-party owned installed under these Regulations, shall be exempted from charges in respect of banking of electricity.

14. Renewable Purchase Obligation and Eligibility to Participate under REC Mechanism

- 14.1 The quantum of electricity consumed by the prosumer from the Renewable Energy Project under the Net Metering Arrangement shall qualify towards his compliance of RPO, if such prosumer is an Obligated Entity.
- 14.2 The quantum of electricity consumed by the prosumer from the Renewable Energy Project owned

- and installed under the Net Metering arrangement shall, if such prosumer is not an Obligated Entity, qualify towards meeting the RPO of the Distribution Licensee.
- 14.3 The unadjusted net credited Units of Renewable Energy purchased by the Distribution Licensee under the provisions of Regulation 10.1 (e) above, shall also qualify towards meeting its RPO.
- 14.4 In case of Net Billing or Gross Metering arrangement, the entire quantum of electricity recorded by the Generation Meter shall qualify towards meeting the RPO of the Distribution Licensee.
- 14.5 The Renewable Energy generated by any prosumer under these Regulations shall not be eligible for REC.

15. Procedure for Application and Registration

- 15.1. The distribution licensee shall facilitate the process for setting up of Renewable Energy generation system at consumers' premises. In this regard, the licensee shall:
 - a. Create an online portal for receiving applications from consumers for installation, interconnection, and metering of distributed Renewable Energy systems or devices, at their premises, and update the same on a regular basis.
 - b. Prominently display on its website and in all its offices, the following namely: -
 - (i) detailed standardized procedure in details for installation and commissioning of Renewable Energy system under gross metering / net billing/ net metering arrangement;
 - (ii) a single point of contact to facilitate the consumers in the installation of such Renewable Energy systems from submission of application form to commissioning;
 - (iii) address and telephone numbers of offices where filled-up application forms can be submitted;
 - (iv) complete list of documents required to be furnished along with such applications;
 - (v) applicable charges to be deposited by the applicant;
 - (vi) empanelled list of service providers for the benefit of consumers who want to install such Renewable Energy systems through service providers; and
 - (vii) financial incentives to the consumers, as applicable under various schemes and programmes of the Central and State Governments.
 - c. The Distribution licensee shall make the form available on its website and through a hard copy at its local offices.
 - d. The consumer of the premises shall submit the application to connect its Renewable Energy system to the distribution system of the licensee in the specified form as **Annexure-2** to the Regulation along with a processing fee of Rs. 500 (Rupees Five Hundred Only) at the local office of the concerned Distribution licensee or online through Web portal of Distribution Licensees.
 - e. In case, the application form is submitted in hard copy, it will be received, and acknowledgement with the registration number for that application shall be generated. The same shall be scanned and uploaded on the website as soon as it is received. In case, the application form is received online through web portal of the distribution licensee, the acknowledgement with the registration number shall be generated on submission of application. Application shall be deemed to be received on the date of generation of acknowledgement with registration number; and the application tracking mechanism based on the unique registration number shall be provided by the distribution licensee through a web-based application or any other mode to monitor the status of the processing of the application like receipt of the application, site inspection, meter installation, and commissioning, etc.
 - f. Within 20 days, the licensee shall complete the technical feasibility study and shall communicate to the applicant through email/SMS/post, the sanction /rejection of the application, as the case may be, along with the estimated amount to be deposited and the copy of the agreement to be executed by the consumer.
 - g. On receipt of full payment, the Distribution Licensee shall approve the application and intimate the same to the applicant by providing a Letter of Approval (LoA) via email/SMS/post, within thirty (30) days from the issuance of acknowledgement of the application.
 - h. During the time period from the feasibility study till the completion of installation, in case, there is any requirement of upgradation of distribution infrastructure like augmentation of the service line, distribution transformer capacity, etc., for installation of the required capacity of Renewable Energy system, the same shall be carried out by the distribution licensee or consumer, as the case may be.

- i. After installation of the Renewable Energy system, the prosumer shall submit the installation certificate to the distribution licensee. The licensee shall complete the signing of the connection agreement, installation of the meter, and successful commissioning of the Renewable Energy system within thirty days from the date of submission of the installation certificate. Formats of connection agreement and installation certificate shall be placed on the web portal of the distribution licensee within thirty days of notification of these Regulations.
- j. The Prosumer shall have the option of purchasing the requisite meter himself which shall be tested and installed by the distribution licensee.
- k. The timelines as specified above in these Regulations shall be adhered to by the distribution licensee. In case of delay, the licensee may take approval from the Commission in specific cases along with justification for the same.
- 1. In case of any delay on the part of the distribution licensee without any just cause, the Licensee shall be liable to pay compensation to the consumer at a rate of Rs.100 (Rupees one hundred only) per day for each day of default.
- m. The distribution licensee shall pass on the financial incentives to the prosumers, as may be provided under various schemes and programs of the Central and State Governments.
- n. In case of any billing dispute, the prosumer may approach to the Electricity Consumer Grievance Redressal Forum of the concerned Distribution licensee.

Miscellaneous

16. Connection Agreement

The Distribution Licensee and Eligible Consumer shall enter into a Net Metering or Net Billing or Gross Metering Connection Agreement, as the case may be, after approval of connectivity of the Renewable Energy Generating System with the distribution Network but before the start of actual generation from the System. The model connection agreements for Net Metering, Net Billing, and Gross Metering Arrangement are provided in **Annexure 3**, **Annexure 4**, and **Annexure 5** respectively. The distribution licensee in consultation with JAKEDA shall develop a similar connection agreement for the consumers willing to avail of the Group Net metering or Virtual Net Metering facility as allowed under these Regulations and take prior approval of the Commission before entering into the same. The model regulations developed by the Ministry of New and Renewable Energy, GoI (F No 318/13/2022-GCRT) dated 04.08.2022 may be referred to in this regard.

17. Power to relax

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the Parties likely to be affected, relax any of the provisions of these Regulations on its ownmotion or on an application made before it by an interested person.

18. Power to amend

The Commission may at any time add, vary, alter, suspend, modify, amend or repeal any of the provisions of these Regulations.

19. Repeal and Savings

Same as otherwise provided in these Regulations, JERC for the state of Goa and UTs (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering) Regulations, 2019, together with amendments made from time to time, are hereby repealed:

Provided that for all purposes, including review matters pertaining to the period till notification of these Regulations, the issues relating to Net Metering shall be governed by the provisions of the JERC for state of Goa and UTs (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering) Regulations, 2019, including amendments thereto, as may be applicable.

20. Power to remove difficulties

In case of any difficulty arising while giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may either Suo-Moto or on a Petition, by an order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act as may appear to be necessary.

By Order of the Commission

V. K. DHAR, (JKAS), Secy. [ADVT.-III/4/Exty./157/2023-24]

Annexure 1

Voltage level Harmonics, Standards: Harmonics & Inverter

Harmonics shall be as per IEEE 519 Standards. The permissible individual harmonics level shall be less than 3% (for both voltage and current harmonics) and Total Harmonics Distortion (THD) for both voltage and current harmonics of the Grid system shall be less than 5%.

Inverter Standards

The Inverter should comply with IEC 61683/IS 61683 for efficiency and Measurements and should comply with IEC 60068-2 (1, 2, 14, 30) / Equivalent BIS Standard for environmental testing. Inverter should supervise the grid condition continuously and in the event of grid failure (or) under voltage (or) over voltage, Solar Plant should be disconnected by the circuit Breaker / Auto switch provided in the Inverter.

	Various Other Standards					
Sl.	Parameter	Reference	Requirements			
1.	Overall conditions of Service	State Distribution/Supply Code	State Distribution/Supply Code			
2.	Overall Grid Standards	Central Electricity Authority (GridStandard) Regulations 2010 Central Electricity Authority (Grid Standard) Regulations 2010				
3.	Equipment	BIS / IEC / IEEE	BIS / IEC / IEEE			
4.	Meters	Central Electricity Authority (Installation & operation of meters) Regulation 2006 as amended from time to time	Central Electricity Authority (Installation & operation of meters) Regulation 2006 as amended from time to time			
5.	Safety and supply	Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010	Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010			
	Harmonic	IEEE 519	IEEE 519			
6.	Requirements Harmonic	CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation	CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations			
	Current	Resources) Regulations 2013.	2013.			
7.	7. Synchronization IEEE 519 CEA (Technical Standa Connectivity of the Dist Generation Research Regulations 2013		Solar Plant must be equipped with a grid frequency synchronization device. Every time the generating station is synchronized to the electricity system. It shall not cause voltage fluctuation greater than +/- 5% at the point of connection.			
8.	Voltage	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013	The voltage-operating window should minimize nuisance tripping and should be under operating range of 80% to 110% of thenominal connected voltage. Beyond a clearing time of 2 second, the Solar Plant must isolate itself from the grid.			

Various Other Standards					
Sl.	Parameter	Reference	Requirements		
9.	Flicker	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013	Operation of Solar Plant should not cause voltage flicker in excess of the limits stated in IEC 61000 standards or other equivalent Indian standards, if any.		
10.	Frequency	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013	When the Distribution system frequency deviates outside the specified conditions (50.5 Hz on the upper side and 47.5 Hz on the lower side), There should be over and under frequency trip functions with a clearing time of 0.2 seconds.		
11.	DC injection	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013			
12.	Power Factor	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013	greater than 50%, a lagging power		
13.	Islanding and Disconnection	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013	The Solar Project in the event of a fault, voltage, or frequency variations must island/disconnect itself within IEC standard on astipulated period.		
14.	Overload and Overheat	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013	The inverter should have the facility to automatically switch off in case of overload or overheating and should restart when normal conditions are restored.		
15.	Paralleling Device	IEEE 519 CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations 2013	Paralleling device of Solar System shall be capable of withstanding 220% of the normal voltage at the interconnection point.		
16.		rds/specifications shall be subject to censee and the State Agency on respe	amendments/revisions from time to time by ctive websites.		

ANNEXURE-2

Model Application Form for installation of Renewable Energy System under Net Metering/Net Billing/Gross Metering arrangement

Name of Distribution Licensee []
Name of Administrative Office []

(To be filled by the Applicant in Block Letters)

Party of this Agreement;

1.	Applicant's Fu	ll Name	:		
2.		premises at which Ren /Project is to be instal			
3.	Telephone/Mol	=	:		
4.	E-mail ID (if a		:		
5.	`	ess for communication	(if any) :		
6.		sting electricity connec	•		
7.	Consumer No.	g	:		
8.		nd / Contract Demand	:(in kW /kVA/ H	P).	
9.		ch existing supply has	,	- /-	
10.	Proposed AC	capacity of Renev to be installed (in kW)			
11.	Voltage at the o	output of Solar inverter	:(in volts), if app	licable.	
	=	stration Fee paid	:		
	(Rs. 500/-).	•			
	Date:		Sign	nature of Applicant.	
	Application No)			
Lis	t of documents	attached with Applic	ation Form		
1.	Copy of the late	est paid electricity bill.			
2.			f signatory in case of Pa		
			to deal with the concer	rned Distribution Lice	ensee, passed by the
2		tors in case of Compan			. 1 11 . 1
3.			erter and other equipmen	nt of system proposed	to be installed.
4.	Proof of payme	nt of Registration Fee.			
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
	CKNOWLEDG		C		6 D 11 E
			kW as		of Renewable Energy
Date	of Receipt	Applicant's Name	Application Number	Existing Consumer No.	Capacity of Renewable Energy System
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Date:			(Signature and ANNEXURE – 3	d Designation of Auth	orized Officer).
		Model Net	Metering Connection	Agraement	
	This Agraam		d into at (location)		is (data) day of
mont	_	ar)		the Eligib	
(Nam	e)		having	premises	
(addre				and	Consumer No.
		as	•		
			AND		
, •	The Distribu	tion Licensee	1.000		(hereinafter referred to
as 'th	ie Licensee') an	id naving its Register	ed Office at (address)_		as second

Whereas, the Eligible Consumer has applied to the Licensee for approval of a Net Metering

Arrangement under the provisions of the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh (Grid Interactive Renewable Energy system and its related matters) Regulations, 2023 (hereinafter referred to as 'the Net Metering Regulations') and sought its connectivity to the Licensee's Distribution Network;

And whereas, the Licensee has agreed to provide Network connectivity to the Eligible Consumer for injection of electricity generated from its Renewable Energy system of ______ kilowatt;

Both Parties hereby agree as follows: -

1. Eligibility

The Renewable Energy Project meets the applicable norms for being integrated into the Distribution Network, and the Eligible Consumer shall maintain the Project accordingly for the duration of this Agreement.

2. Technical and Inter-connection Requirements

- 2.1. The metering arrangement and the inter-connection of the Renewable Energy Project with the network of the Licensee shall be as per the provisions of the Net Metering and the technical standards and norms specified by the Central Electricity Authority for connectivity of distributed generation resources and for the installation and operation of meters.
- 2.2. The Eligible Consumer agrees, that he shall install, prior to connection of the Renewable Energy Project to the network of the Licensee, an isolation device (both automatic and in built within inverter and external manual relays); and the Licensee shall have access to it if required for the repair and maintenance of the Distribution Network.
- 2.3. The Licensee shall specify the interface/inter-connection point and metering point.
- 2.4. The Eligible Consumer shall furnish all relevant data, such as voltage, frequency, circuit breaker, isolator position in his System, as and when required by the Licensee.

3. Safety

- 3.1. The equipment connected to the Licensee's Distribution System shall be compliant with relevant International (IEEE/IEC) or Indian Standards (BIS), as the case may be, and the installation of electrical equipment shall comply with the requirements specified by the Central Electricity Authority regarding safety and electricity supply.
- 3.2. The design, installation, maintenance, and operation of the Renewable Energy Project shall be undertaken in a manner conducive to the safety of the Renewable Energy Project as well as the Licensee's Network.
- 3.3. If,- at any time, the Licensee determines that the Eligible Consumer's Renewable Energy Project is causing or may cause damage to and/or results in the Licensee's other Consumers or its assets, the Eligible Consumer shall disconnect the Renewable Energy Project from the distribution network upon direction from the Licensee, and shall undertake corrective measures at his own expense prior to reconnection.
- 3.4. The Licensee shall not be responsible for any accident resulting in injury to human beings or animals or damage to property that may occur due to back-feeding from the Renewable Energy Project when the grid supply is off. The Licensee may disconnect the installation at any time in the event of such exigencies to prevent such accident.

4. Other Clearances and Approvals

The Eligible Consumer shall obtain any statutory approvals and clearances that may be required, such as from the Electrical Inspector or the municipal or other authorities, before connecting the Renewable Energy Project to the distribution Network.

5. Period of Agreement, and Termination

This Agreement shall be for a period of 20 years, but may be terminated prematurely,

- a) By mutual consent; or
- b) By the Eligible Consumer, by giving 30 days' notice to the Licensee;
- c) By the Licensee, by giving 30 days' notice, if the Eligible Consumer breaches any terms of this Agreement orthe provisions of the Net Metering Regulations and does not remedy such breach within 30 days, or such other reasonable period as may be provided, of receiving notice of such breach, or for any other valid reason communicated by the Licensee in writing.

6. Access and Disconnection

6.1. The Eligible Consumer shall provide access to the Licensee to the metering equipment and disconnecting devices of Renewable Energy Project, both automatic and manual, by the Eligible

Consumer.

- 6.2. If, in an emergent or outage situation, the Licensee cannot access the disconnecting devices of the Renewable Energy Project, both automatic and manual, it may disconnect the power supply to the premises.
- 6.3. Upon termination of this Agreement under Clause 5, the Eligible Consumer shall disconnect the Renewable Energy Project forthwith from the Network of the Licensee.

7. Liabilities

- 7.1. The Parties shall indemnify each other for damages or adverse effects of either Party's negligence or misconduct during the installation of the Renewable Energy Project, connectivity with the distribution network, and operation of the System.
- 7.2. The Parties shall not be liable to each other for any loss of profits or revenues, business interruption losses, loss of contract or goodwill, or for indirect, consequential, incidental or special damages including, but not limited to, punitive or exemplary damages, whether any of these liabilities, losses or damages arise in contract, or otherwise.

8. Commercial Settlement

- 8.1. The commercial settlements under this Agreement shall be in accordance with the Net Metering Regulations.
- 8.2. The Licensee shall not be liable to compensate the Eligible Consumer if his Renewable Energy Project is unable to inject surplus power generated into the Licensee's Network on account of the failure of power supply in the grid/Network.
- 8.3. The existing metering System, if not in accordance with the Net Metering Regulations, shall be replaced by a bi-directional meter (whole current/CT operated), and a separate generation meter may be provided to measure Renewable Energy generation. The bi-directional meter (whole current/CT operated) shall be installed at the inter-connection point to the Licensee's Network for recording the export and import of energy.
- 8.4. The uni-directional and bi-directional meters shall be fixed in separate meter boxes in the same proximity.
- 8.5. The Licensee shall issue monthly electricity bill for the net metered energy on the scheduled date of meter reading. If the exported energy exceeds the imported energy, the Licensee shall show the net energy exported as credited Units of electricity as specified in the Net Metering Regulations. If the exported energy is less than the imported energy, the Eligible Consumer shall pay the Distribution Licensee for the net energy imported at the prevailing tariff approved by the Commission for the Consumer category to which he belongs.

9. Connection Costs

The Eligible Consumer shall bear all costs related to the setting up of the Renewable Energy Project, excluding the Net Metering Arrangement cost beyond the Net Meter.

10. Dispute Resolution

- 10.1. Any dispute arising under this Agreement shall be resolved promptly, in good faith and in an equitable manner by both the Parties.
- 10.2. Disputes pertaining to billing / payments and metering shall be referred to the Consumer Grievances Redressal Forum (CGRF) and then to the Ombudsman appointed under sub-section 6 of Section 42 of the Act for settlement in casethe same is not resolved at CGRF.

In the witness	, where	of	(Name)	fo	r :	and	on	behalf	of	Eligible
Consumer and										
(Name)				for and on behalf of (Licensee) agre	e t	o thi	s ag	reement		

Annexure-4

Model Net Billing Connection Agreement

This Agreement	is made	and	entered	into	at	(location)_		$_{-}$ on this (c	date)	day of
(month)	_(year)		be	tween	l		the	Eligible		Consumer
(Name)							having	premises	at	(address)
						and	d Consumer	No	$\underline{}$ as the	Party,

the Distribution Licensee	(hereinafter	referred	to a	s 'the	Licensee')	and	havi	ng its
Registered Office at (address)						as	the s	second
Party of this Agreement.								

Whereas the Eligible Consumer has applied to the Licensee for approval of a Net Billing Arrangement under the provisions of the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh (Grid Interactive Renewable Energy system and its related matters) Regulations, 2023 and sought its connectivity to the Licensee's distribution Network;

And whereas the Licensee has agreed to provide Network connectivity to the Eligible Consumer for injection of electricity generated from its Renewable Energy Generating System of _____kilowatt;

Both Parties hereby agree as follows:

1 Eligibility

The Renewable Energy Generating System meets the applicable norms for being integrated into the distribution network, and the Eligible Consumer shall maintain the System accordingly for the duration of this Agreement.

2 Technical and Inter-Connection Requirements

- 2.1 The metering arrangement and the inter-connection of the Renewable Energy Generating System with the Network of the Licensee shall be as per the provisions of the aforesaid Regulations and the technical standards and norms specified by the Central Electricity Authority for connectivity of distributed generation resources and for the installation and operation of meters, the Eligible Consumer agrees, that he shall install, prior to connection of the Renewable Energy Generating System to the Network of the Licensee, an isolation device (both automatic and in-built within inverter and external manual relays); and the Licensee shall have access to it if required for the repair and maintenance of the distribution Network.
- 2.2 The Licensee shall specify the interface/inter-connection point and metering point.
- 2.3 The Eligible Consumer shall furnish all relevant data, such as voltage, frequency, circuit breaker, isolator position in his System, as and when required by the Licensee.

3 Safety

- 3.1 The equipment connected to the Licensee's distribution System shall be compliant with relevant International (IEEE/IEC) or Indian standards (BIS), as the case may be, and the installation of electrical equipment shall comply with the requirements specified by the Central Electricity Authority regarding safety and electricity supply.
- 3.2 The design, installation, maintenance, and operation of the Renewable Energy Generating System shall be undertaken in a manner conducive to the safety of the Renewable Energy Generating System as well as the Licensee's Network.
- 3.3 If, at any time, the Licensee determines that the Eligible Consumer's Renewable Energy Generating System is causing or may cause damage to and/or results in the Licensee's other consumers or its assets, the Eligible Consumer shall disconnect the Renewable Energy Generating System from the distribution Network upon direction from the Licensee, and shall undertake corrective measures at his own expense prior to reconnection.
- 3.4 The Licensee shall not be responsible for any accident resulting in injury to human beingsor animals or damage to property that may occur due to back-feeding from the RenewableEnergy Generating System when the grid supply is off. The Licensee may disconnect the installation at any time in the event of such exigencies to prevent such accident.

4 Other Clearances and Approvals

The Eligible Consumer shall obtain any statutory approvals and clearances that may be required, such as from the Electrical Inspector or the municipal or other authorities, before connecting the Renewable Energy Generating System to the distribution Network.

5 Period of Agreement, and Termination

- 5.1 This Agreement shall be for a period for 20 years, but may be terminated prematurely
- a) By mutual consent; or
- b) By the Eligible Consumer, by giving 30 days' notice to the Licensee;

- c) By the Licensee, by giving 30 days' notice, if the Eligible Consumer breaches any terms of this Agreement or the provisions of the Net Metering Regulations and does not remedy such breach within 30 days, or such other reasonable period as may be provided, of receiving notice of such breach, or for any other valid reason communicated by the Licensee in writing;
- d) By the Licensee, by giving 30 days' notice, if the Eligible Consumer fails to pay his dues in a timely manner or indulges in any malpractices.

6 Access and Disconnection

- 6.1 The Eligible Consumer shall provide access to the Licensee to the metering equipment and disconnecting devices of Renewable Energy Generating System, both automatic and manual, by the Eligible Consumer.
- 6.2 If, in an emergent or outage situation, the Licensee cannot access the disconnecting devices of the Renewable Energy Generating System, both automatic and manual, it may disconnect the power supply to the premises.
- 6.3 Upon termination of this Agreement under Clause 5, the Eligible Consumer shall disconnect the Renewable Energy Generating System forthwith from the Network of the Licensee.

7 Liabilities

- 7.1 The Parties shall indemnify each other for damages or adverse effects of either Party's negligence or misconduct during the installation of the Renewable Energy Generating System, connectivity with the distribution Network and operation of the System.
- 7.2 The Parties shall not be liable to each other for any loss of profits or revenues, business interruption losses, loss of contract or goodwill, or for indirect, consequential, incidental or special damages including, but not limited to, punitive or exemplary damages, whether any of these liabilities, losses or damages arise in contract, or otherwise.

8 Commercial Settlement

- 8.1 The commercial settlements under this Agreement shall be in accordance with Net Metering Regulations in force
- 8.2 The units exported by the Renewable Energy Generating Station in the billing period shall be purchased by the Distribution Licensee at Rs. _____ per kWh as per the feed-in tariff approved by the consumption, for the entire duration of the Agreement.
- 8.3 The Licensee shall not be liable to compensate the Eligible Consumer if his Renewable Energy Generating System is unable to inject surplus power generated into the Licensee's Network on account of the failure of power supply in the grid/Network.
- 8.4 The Licensee shall issue a net bill as per the billing cycle after accounting for the units exported by the Renewable Power Developer at feed –in tariff approved by the Commission and after accounting for units imported from the grid at applicable Tariff Order.

9 Connection Costs

The Eligible Consumer shall bear all costs related to the setting up of the Renewable Energy Generating System, including the cost of the Renewable Energy Generation Meter.

10 Dispute Resolution

- 10.1 Any dispute arising under this Agreement shall be resolved promptly, in good faith and inan equitable manner by both the Parties.
- 10.2 The Eligible Consumer shall have recourse to the concerned Consumer Grievance Redressal Forum constituted under the relevant Regulations in respect of any grievance regarding billing, which has not been redressed by the Licensee.

The Eligible Consumer shall have recourse to the concerned C	Consumer Grievand	e Redressa	l Forum	constituted ur	nder the
relevant Regulations in respect of any grievance regarding bi	lling, which has n	ot been re	dressed by	the Licensee.	In the
witness, where of (Name)	for and o	n behalf of	Eligible (Consumer) and	1
(Name)	for	and	on	behalf	of
	(Licensee) a	agree to thi	s agreeme	nt.	

Annexure-5

Model Gross Metering Connection Arrangement

This Agreement is made and entered into at (location)on this (date)day of (month)yearbetween the Eligible Consumer or third party owner, by the name ofowning or leasing or having commerce rights to the premises at
(address)as first party
AND
Distribution Licensee (herein after called as Licensee) and represented by
And whereas, the

Both the parties hereby agree to as follows:

1. Eligibility

1.1 The Renewable Energy Generating System meets the applicable norms for being integrated into the distribution network, and that the Eligible Consumer shall maintain the System accordingly for the duration of this Agreement.

2. Technical and Interconnection Requirements

- 2.1 Renewable Energy generation plant under gross metering system will conform to the standards and requirements specified in Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh (Grid Interactive Renewable Energy Renewable Energy system and its related matters) Regulations, 2023 and in the following Regulations and codes as amended from time to time:
 - i. Central Electricity Authority (Technical Standards for connectivity of the Distributed Generating Resources) Regulations, 2013 and subsequent amendments thereof;
 - ii. Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulation 2006 and subsequent amendments thereof;
 - iii. Central Electricity Authority (Measures of Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010 and subsequent amendments thereof;
 - iv. Grid Code Regulations framed by the Commission;
 - v. Supply Code Regulations framed by the Commission;
 - vi. Any other provisions applicable to the electricity consumer of the Distribution Licensee.
- 2.2 The Eligible Consumer agrees, that he shall install, prior to connection of the Renewable Energy Generating System to the Network of the Licensee, an isolation device (both automatic and in-built within inverter and external manual relays); and the Licensee shall have access to it if required for the repair and maintenance of the distribution Network.
- 2.3 The Eligible Consumer agrees that in case of a power outage Licensee's system, the photovoltaic system will disconnect/isolate automatically and his plant will not inject power into Licensee's distribution system.
- 2.4 All the equipment connected to the distribution system shall be compliant with relevant International (IEEE/IEC) or Indian standards (BIS) and installations of electrical equipment must comply with Central Electricity Authority (Measures of Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010.
- 2.5 The Eligible Consumer agrees that Licensee will specify the interface/interconnection point and metering point.
- 2.6 The Eligible Consumer and Distribution Licensee agree to comply with the relevant CEA and JERC UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh Regulations in respect of operation and maintenance of the plant, drawing and diagrams, site responsibility schedule, harmonics, synchronization, voltage, frequency, flicker etc.
- 2.7 Due to Licensee's obligation to maintain a safe and reliable distribution system, the Eligible Consumer agrees that if it is determined by the Licensee that the respective owner's photovoltaic system either causes damage to and/or produces adverse effects affecting other consumers or Licensee's assets, the Eligible consumer will have to disconnect photovoltaic system immediately from the distribution system upon direction from the Licensee and correct the problem at his own expense prior to a reconnection.

3. Clearances and Approvals

3.1 The Eligible Consumer agrees to obtain all the necessary approvals and clearances (environmental and grid connection related) before connecting the photovoltaic system to the distribution system.

4. Access and Disconnection

- 4.1 Licensee shall have access to metering equipment and disconnecting means of the Renewable Energy system, both automatic and manual, at all times.
- 4.2 In emergency or outage situation, where there is no access to the disconnecting means, both automatic and manual, such as a switch or breaker, Licensee may disconnect service to the premises of the eligible consumer.

5. Liabilities

- 5.1 Eligible consumer and Licensee will indemnify each other for damages or adverse effects from either party's negligence or intentional misconduct in the connection and operation of photovoltaic system or Licensee's distribution system.
- 5.2 Licensee and eligible consumer will not be liable to each other for any loss of profits or revenues, business interruption losses, loss of contract or loss of goodwill, or for indirect, consequential, incidental or special damages, including, but not limited to, punitive or exemplary damages, whether any of the said liability, loss or damages arise in contract, or otherwise.
- 5.3 Licensee shall not be liable for delivery or realization by eligible consumer for any fiscal or other incentive provided by the Central/State Government beyond the scope specified by the Commission in its relevant Order
- 5.4 The Licensee may consider the quantum of electricity generation from the Renewable Energy system towards meeting its RPO.

6. Commercial Settlement

6.1 All the commercial settlement under this agreement shall follow the aforesaid Regulations issued by the Commission.

7. Connection Costs

7.1 The Eligible Consumer shall bear all costs related to setting up of photovoltaic system including metering and interconnection costs. The First Party agrees to pay the actual cost of modifications and upgrades to the service line required to connect photovoltaic system to the grid in case it is required.

8. Termination

- 8.1 The Eligible Consumer can terminate agreement at any time by providing Licensee with 30 days' prior notice.
- 8.2 Licensee has the right to terminate Agreement on 30 days' prior written notice, if the Eligible consumer commits breach of any of the term of this Agreement and does not remedy the breach within 30 days of receiving written notice from Licensee of the breach.
- 8.3 The Eligible Consumer shall upon termination of this Agreement, disconnect the Renewable Energy System from License's distribution system in a timely manner and to Licensee's satisfaction.

In witness, whereof, Mr	for and on behalf of (Eligible consumer or
1 7	for and on behalf of (Licensee) sign this agreement in two originals.
Eligible Consumer/ Third Party	
Name:	

Address:

Service Connection No.

Distribution Licensee

Name:

Designation:

Office Address.